lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

euvy&1

ifjogu vk;Dr] mRrjkpy

lxBu dh fof'kf"B;k] dR; vkj drO;A

ifjogu foHkkx dk bfrgkl

सन् 1914 में मोटरयानों से सम्बन्धित प्रथम अधिनियम द्वारा पुलिस विभाग को सवारी एवं माल वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने के पूर्ण अधिकार दिये गये थे। बस सेवाओं के परिवहन को विनियमित करने की दृष्टि से तद्पश्चात भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1939 अधिनियमित किया गया। इसके द्वारा सार्वजनिक सेवायानों का प्रशासन एवं नियंत्रण पुलिस विभाग से स्थानान्तरित कर सांविधिक संस्थाओं यथा, प्रान्तीय परिवहन प्राधिकरण और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को दिया गया तथा राजस्व परिषद् को प्रान्तीय परिवहन प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बनाया गया।

1-2& राज्य में सड़क परिवहन उद्योग को नियमित करने, नियंत्रण व्यवस्था को पुनर्गठित करने और मोटरयान कानूनों का दक्षता पूर्वक प्रशासन करने का कार्य सन् 1945 में किया गया। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 1945 में परिवहन आयुक्त कार्यालय सृजित हुआ। रेल और सड़क परिवहन के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उसी साल अप्रैल में सचिवालय में अलग से परिवहन विभाग स्थापित हुआ।

1-3& मोटर गाडियों की और उनके स्पेयर पार्टस की बिक्री पर नियंत्रण का कार्य जो लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के समय से किया जा रहा था, परिवहन विभाग द्वारा ले लिया गया। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में मोटरगाडियों का पंजीयन, मोटरगाडियों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, मोटर गाडियों पर करारोपण और वास्तविक रूप से राज्य में मोटर कानूनों का समस्त प्रशासन जैसे मोटरगाडी अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटरगाडी नियमावली, 1940 संयुक्त प्रान्त मोटरगाडी कराधान अधिनियम, 1935 व संयुक्त प्रान्त मोटरगाडी कराधान नियमावली, 1935 का कार्य परिवहन विभाग में केन्द्रित हो गया। इससे मोटरगाडियों के पंजीयन और मोटर गाडियों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन से सम्बन्धित जिला पुलिस अधिकारी के अधिकार समाप्त हो गये। इस प्रकार पुनर्गठित ढांचे में सदस्य राजस्व परिषद् के स्थान पर परिवहन आयुक्त प्रान्तीय

(बाद में राज्य) परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष हो गये और अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के स्थान पर उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्राधिकरण के सदस्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया गया। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने रहे किन्तु विभाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त या डिप्टी कलेक्टर से सदस्य सचिव का कार्यभार ले लिया गया। इसके अतिरिक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को रजिस्ट्रीकर्ता, अनुज्ञापन और कराधान प्राधिकारियों का दाायित्व भी सौंपा गया। साथ ही साथ मोटर कानूनों के सघन प्रवर्तन हेतु परिवहन विभाग में ही प्रवर्तन शाखा भी स्थापित की गयी और प्रवर्तन का कार्य राज्य के पुलिस विभाग से लिये गये कार्मिको से कराया जाता रहा। वर्ष 1959 में इस शाखा का पुनर्गठन किया गया और पुलिस कार्मिकों के स्थान पर विभागीय कार्मिकों की प्रतिस्थापना की गयी।

1-4& मोटरगाडियों की यांत्रिक दशा पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को प्राविधिक निरीक्षक दिये गये। वर्ष 1954 में मोटर गाडियों विषयक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों के निर्णयों के विरूद्ध अपील निर्णीत करने हेतु अपीलीय संस्था के स्थान पर अधिकरण स्थापित किया गया। इसमें पुनः अग्रतर संशोधन करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा–64 के अधीन समस्त अपील निर्णीत करने हेतु राजस्व परिषद् को राज्य परिवहन अधिकरण (**State Transport Tribunal**) नियुक्त किया गया।

1-5& सड़क परिवहन के वित्तीय एवं प्रबंधन में निजी संचालको की हिस्सेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ज्वाइन्ट स्टाक कंपनियाँ भी स्थापित की गयी थी। लेकिन निजी संचालक ऐसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों में जाने से हिचकते रहे और सरकार द्वारा अन्ततः मई 1947 में राज्य उपक्रम के रूप में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन की स्कीम प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार आरामदायक, सस्ती और दक्ष परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1951 में राज्य सड़क परिवहन अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को निजी संचालकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी। अंततः वर्ष 1954 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन स्कीम के समक्ष उत्पन्न हुई इस विधिक कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन सेवा अध्यादेश, 1955 प्रख्यापित किया गया। जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सड़क

परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, 1955 के रूप में अधिनियमित किया गया। पूरे देश में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भी वर्ष 1957 में मोटरयान अधिनियम, 1939 में संशोधन कर इस अधिनियम में अध्याय 4–ए जोड़कर राष्ट्रीयकृत सेवाओं के लिए मार्ग अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया विहित की गयी। तब से उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज व बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का विस्तार मोटरयान अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाता रहा है।

2& राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने का कार्य भी परिवहन विभाग को सौंपा गया था। राज्य में नवम्बर, 1946 में एक फ्लांइग क्लब संगठित किया गया था जिसे 'हिन्द फ्लांइग क्लब लिमिटेड' लखनऊ के नाम से रजिस्ट्रीकृत किया गया था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विषय, मूलतः वर्ष 1956 मे प्लानिंग संगठन में लिया गया था, बाद में अगस्त, 1961 मे उसको परिवहन आयुक्त के प्रभार के अधीन लाया गया। वर्ष 1962 में आपात स्थिति उत्पन्न होने के कारण इस योजना पर गम्भीर प्रतिगामी प्रभाव पडा। तब उस समय इसे लगभग परित्याग कर दिया गया, निर्माण योजना त्याग दी गयी और कई फील्ड आफीसेस बंद कर दिये गये। इस संगठन को बाद में सीमित सीमा तक पुर्नजीवित किया गया। यद्यपि वर्ष 1965 मे एक पूर्ण पर्यटन निदेशालय स्थापित किया गया जिसमें पूर्ण कालिक निदेशक और उसकी सहायता के लिए उपनिदेशक (पर्यटन) नियुक्त किया गया था किन्तु पुरानी स्थिति पुनः स्थापित हो गयी और वर्ष 1967 में पुनः उपनिदेशक के अधीन इसका सीधा प्रभार रखते हुए इसे पुनः परिवहन आयुक्त के नियंत्रणाधीन कर दिया गया। उप निदेशक के इस पद को तदंनतर उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) का पदनाम दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम और नियमावली 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम और नियमावली 1964 का प्रशासन भी परिवहन आयुक्त संगठन को सौंपा गया कालान्तर में पर्यटन के लिए पृथक विभाग सृजित किया गया और पर्यटन निदेशक इसके विभागाध्यक्ष बनाये गये।

3& परिवहन विभाग (पोर्टफोलियो) परिवहन मंत्री के पास रहा और तत्समय विभाग का सचिवालय का संगठन इस प्रकार रहाः–

3-1& सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव और अधीक्षक। परिवहन विभाग वर्ष 1960 में दो अनुभागों में विभाजित किया गया था। इसके द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य देखे जाते थे :–

3-2& ifjogu ¼d fo Hkkx½

उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज संगठन और रोडवेज केन्द्रीय कार्यशालायें, रोड़वेज बोर्ड, रेल–सड़क समन्वय, रेलवे यूजर्स सलाहकार समिति, श्रम कानून, राष्ट्रीयकरण और रोडवेज गाडियों से होने वाली दुर्घटनायें।

3-3& ifjogu ¼[k fo Hkkx½

मोटर गाड़ियों तथा परिवहन अधिनियमों और नियमों का प्रबन्धन, नागरिक उड्डयन, सी पैसेज अथारिटीज, विधानमण्डल की परिवहन स्थायी समिति, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण, यात्रीकर और मालकर, ओटोमोबाइल एसोसिएशन को कर अधिकारी की शक्तियों का प्रतिनिधायन, अखिल भारतीय सड़क परिवहन उपक्रम कान्फ्रेन्स, पर्यटन, सरकारी विभागों हेतु गाडियों का क्रय एवं आवंटन और उनका अनुरक्षण मोटर कार, स्कूटर आदि का आवंटन और वार्षिक सामान्य रिपोर्ट।

tu] 1972 esa mRrj izn'k jkT; lM+d ifjogu fuxe dh LFkkiuk ls iwo

4& परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ संगठन के प्रशासकीय एवं कार्यकारी मुखिया थे। वह मोटर व कराधान कानूनों का प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज का प्रशासन और संचालन तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी थे। मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष थे। सडक परिवहन सेवाओं के विस्तार से सम्बन्धित सभी स्कीम और उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से संचालित मार्गो पर निजी संचालकों को उनकी बसे संचालित करने की अनुमति देने विषयक मामलों को राज्य परिवहन उपक्रम या शासन को प्रस्तुत करने से पूर्व परिवहन आयुक्त की सहमति आवश्यक थी। उस समय विभाग की गतिविधियाँ मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित थी :–

4-1& प्रशासकीय या रोडवेज के भिन्न शाखा जो मोटर कानूनों और विभिन्न कराधान कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी थी और दूसरी रोडवेज शाखा जो राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन और प्रवर्तन का कार्य करती थी।

4-2& उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए मुख्यालय पर नौ उप परिवहन आयुक्त थे। जिनमें से चार प्रशासन से सम्बन्धित थे। (1) उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) जिसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) था, परिवहन आयुक्त कार्यालय मुख्यालय और सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का प्रशासनिक प्रभारी (इन्चार्ज) था। उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) राज्य परिवहन प्राधिकरण का सदस्य

सचिव भी था। (2) उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) की सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) थे, उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में प्रवर्तनकार्यो का नियंत्रण और प्रशासन का उत्तरदायी था। (3) उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) रोडवेज को छोड़कर समस्त सरकारी विभागों के लिए मोटरगाडियों की खरीद की व्यवस्था, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा गाडियों का निरीक्षण और अन्य सरकारी विभागों की गाडियों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्यो का नियंत्रण का उत्तरदायी था। (4) उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर) इन करों की वसूली का पर्यवेक्षण करता था। उसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (मालकर) था।

4-3& रोडवेज शाखा से सम्बन्धित कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गठन से पूर्व पांच उप परिवहन आयुक्तों द्वारा देखा जाता था। (1) उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज) रोडवेज कार्यशालाओं का संगठन, मोटरगाड़ियों व स्टोर की खरीद से सम्बन्धित समस्त प्रशासकीय माामलों का प्रभारी था। (2) उसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) और स्टोर सत्यापन अधिकारी थे, उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) नान टैक्निकल रोड़वेज कार्मिकों के समस्त स्थापना सम्बन्धी मामलों और रोड़वेज परिचालन पर नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों के प्रभारी थे। (3) उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज–विकास) रोड़वेज सेवाओं का विकास, रोड़वेज संगठन पर श्रम कानूनों को लागू करना, जन सम्पर्क का कार्य देखते थे। वह मोटर कार (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर,1959, स्कूटर (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर, 1960 और वाणिज्यिक गाडी (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर ,1963 के अधीन राज्य (नियंत्रक) भी थे। उनकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (रोड़वेज–सामान्य) था। (4) उप परिवहन आयुक्त (लेखा) वित्तीय मामलों में परिवहन आयुक्त के परामर्शदाता के रूप मे कार्य करता था। वह वाणिज्यिक लेखा नियंत्रित करता था और लाभ और हानि की लेखा की स्क्रूटनी करने व रोड़वेज संगठन की बैलेंस शीट तैयार के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए मुख्यालय पर मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी, विभाग के मैनुअल्स और नियमों को तैयार करने के लिए उप महाप्रबन्धक स्तर का एक अधिकारी तैनात भी था। (5) उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य देखता था, उसकी सहायता के लिए एक जन सम्पर्क अधिकारी था।

4-4& भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्य के लिए मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता था जिसकी सहायता के लिए सहायक अभियंता थे।

4-5& परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए सहायक महाप्रबन्धक (रोड़वेज) स्तर का एक वैयक्तिक सहायक भी था।

4-6& तत्समय परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज), उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज परिचालन), उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन),उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर), सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन ड्राइवर और कन्डक्टर अनुज्ञप्ति का निरीक्षण करने, उस अधिनियम की धारा 87 (1) (क) के अधीन मोटरगाडी को रोकने, धारा–88 और 98 (ख) के अधीन मोटरगाडी के स्वामी, ड्राइवर और कन्डक्टर से पूछताछ करने, धारा 106 (1) के अधीन बीमा प्रमाण–पत्र की जाँच करने, ऐसे व्यक्ति को जो अपने वाहन को खतरनाक हालत में मादक पदार्थो के प्रभाव के अधीन चलाता हो, प्राधिकार के मांगे जाने पर गलत नाम और पता दे या जिसके मांगने की संभावना हो या जो शमन प्राप्त करने में आनाकानी करें को धारा–128 के अधीन बिना वांरट के गिरफ्तार करने, धारा–129 के अधीन चालक अनुज्ञाप्ति और गाड़ी से सम्बन्धित कागजात जब्त करने और अधिनियम के धारा–129 (ए) के अधीन बिना रजिष्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या परमिट के बिना प्रयुक्त होने वाली मोटरगाडी को निरुद्ध करने के अधिकार प्रतिनिधानित थे।

4-7& यद्यपि क्षेत्रीय और उससे नीचे स्तर पर विभाग स्पष्ट रूप से दो शाखाओं में विभाजित था। तथापि मुख्यालय स्तर पर परिवहन कार्यालय में इस तरह का कोई स्पष्ट विभाजन नही था। वर्ष 1969 में वह निम्न अनुभागों में विभाजित था :–

¼d½ jkMost ls fHkUu vuqHkkx ¼& यह अनन्य रूप से मोटरगाडियों और कराधान कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्य करते थे।

4-8& jkT; ifjogu izkf/kdj.k vuqHkkx ¼& यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था और मोटरयान अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल रूल्स, 1940 और संयुक्त प्रांत मोटर वेहिकिल टैक्सेशन एक्ट और रूल्स 1935 का प्रशासन, परिवहन कानूनों की व्याख्या और कर अपील, राज्य परिवहन प्राधिकरण और अधिकरण के अधीन मामले, किराया और भाडा दरें, पडोसी राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते, राज्य परिवहन आयुक्तों की कान्फ्रेन्स, परिवहन विकास परिषद्, मोटर कानूनों से

सम्बन्धित न्यायिक मामलें (कोर्ट केसेज), सडक दुर्घटना में प्रतिकर का भुगतान, रेल सड़क समन्वय और नागरिक उड्डयन के विकास हेतु अनुदान से सम्बन्धित नियमों को देखता था।

4-9& iorZu vuHkkx %& यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के प्रभार के अधीन था। मोटरगाड़ियों और कराधान कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित मामलें, प्रवर्तन अधिकारियों यथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक लोक अभियोजक और अन्य प्रवर्तन दल स्टाफ से सम्बन्धित स्थापना के मामलें देखता था, इसके साथ ही वह मुख्य रूप से प्रवर्तन दलों के कार्य कलापों का मुल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी था।

4-10& ;k=h vkj ekydj vuHkkx %& यह उत्तर प्रदेश मोटरगाडी यात्रीकर अधिनियम, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी मालकर अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रशासन एवं प्रवर्तन का कार्य करता था। यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर) के प्रभार के अधीन था। फील्ड स्तर पर यह कार्य यात्रीकर अधिकारी, यात्रीकर अधीक्षक द्वारा किया जाता था।

¼[k½& jkMot 'kk[kk d vuHkkx %& यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के प्रशासन और परिचालन से सम्बन्धित कार्य देखते थे।

4-11& jkMot vuHkkx_%& यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था। यह रोड़वेज परिचालन हेतु नये मार्गो का अधिग्रहण (राष्ट्रीयकरण) करना और उससे सम्बन्धित कोर्ट कैसेज, रोडवेज के विरूद्ध शिकायतें, ड्राइवर और प्राविधिक स्टाफ को पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनायें, रोड़वेज गाडियों से होने वाली दुर्घटनांए और प्रतिकर, क्लेम सेटलमेन्ट, रेलवे आउट ऐजन्सी, डाक भेजने हेतु ठेके, स्टाफ वैल फेयर स्कीम रोड़वेज बोर्ड के साथ बैठके, सम्भागीय परामर्शी समितियां, रोड़वेज महाप्रबन्धकों की बैठक, सडक परिवहन उपक्रमों की अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेन्स, वी0आई0पी0 अन्य महानुभावों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कार्य करता था।

4-12& jkMot vf/k"Bku vuHkkx vkj jkMot vu'kklfud vuHkkx %& उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज) को तकनीकी स्टाफ और उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) को तकनीकी स्टाफ से भिन्न स्टाफ का कार्य आंवटित था।

रोड़वेज अधिष्ठान अनुभाग ऐसे समस्त राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों जिसकी नियुक्ति एवं अपील प्राधिकारी के अधिकार उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज), उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) या परिवहन आयुक्त को थे, के अधिष्ठान से सम्बन्धित मामलों को देखता था।

रोड़वेज अनुशासनिक अनुभाग कर्मियों के समस्त अनुशासनिक मामलों को देखता था।

4-13& jkMot okf.kfT;d y[kk vuHkkx vkj y[kk vuHkkx %& यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त लेखा के प्रभार के अधीन था रोड़वेज संगठन सरकारी विभाग की तरह था। इसके कार्य वाणिज्यिक प्रकृति के थे, रोड़वेज का लेखा सरकारी कम वाणिज्यिक लेखा सिस्टम पर आधारित था। रोड़वेज वाणिज्यिक लेखा अनुभाग लेखा को डबल इन्ट्री सिस्टम में रखता था और बैंलेंसशीट तैयार करता था। इसका कार्य रोड़वेज के परिचालन में हानि और लाभ के कारकों पर सतर्क नजर रखना था।

रोड़वेज लेखा अनुभाग बजट से सम्बन्धित मामले, रोड़वेज अनुभागों में लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों और गैर वाणिज्यिक लेखाकारों का अधिष्ठान, और रोड़वेज के अधिकारियों और कर्मियों का यात्रा भत्ता, फन्ड अलाटमैन्ट और रोड़वेज संगठन के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखने का कार्य करता था। सरकारी और वाणिज्यिक लेखा के बीच समन्वय करना इसका एक प्रमुख कार्य था।

4-14& Hkou vuHkkx %& यह अनुभाग अधिशासी अभियंता के प्रभार के अधीन रोड़वेज भवनों का निर्माण और अनुरक्षण से सम्बन्धित मामलों को देखता था स्थानीय स्तर पर कार्यो का पर्यवेक्षण करने हेतु चार सहायक अभियंता कतिपय सम्भागीय मुख्यालयों पर तैनात थे।

¼Xk½ <u>feyt y vuHkkx</u> %& ये अनुभाग मुख्यालय पर रोड़वेज और रोड़वेज से भिन्न शाखाओं दोनों से सम्बन्धित कार्य देखते थे।

4-15& vf/k"Bku vuHkkx vkj y[kk vuHkkx %& यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था जिन्हें व्यैक्तिक सहायक परिवहन आयुक्त द्वारा भी सहायता दी जाती थी, जिनके पास आहरण और वितरण अधिकार था। अधिष्ठान अनुभाग परिवहन आयुक्त मुख्यालय और सम्भागीय परिवहन शाखाओं के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मामलों को देखता था। लेखा अनुभाग परिवहन आयुक्त मुख्यालय और

सम्भागीय परिवहन शाखाओं (प्रवर्तन शाखा के सिवाय) के सभी लेखा मामलों को देखता था।

4-16& ikfof/kd vuHkkx %& इस अनुभाग में चार उप अनुभाग यथा (क) गाड़ियाँ (ख) प्राविधिक (ग) मोटर यातायात और (घ) वेहिकिल कन्ट्रोल आर्ड़र उप अनुभाग थे। गाडियाँ उप अनुभाग को रोड़वेज और अन्य सरकारी विभागों के लिए मोटर गाडियों की खरीद व स्टोर, सरेन्डर्ड पूल की गाड़ियों का आवंटन, मरम्मत और ट्रान्सफर, सभी सरकारी गाड़ियों की मरम्मत और बाडी बनाना तथा राहत कार्यो के लिए गाडियों की आपूर्ति विषयक कार्य आवंटित था।

प्राविधिक उप अनुभाग को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के निरीक्षण कार्यक्रमों और उनकी निरीक्षण आख्यानों का कार्य आवंटित था। यह दोनों उप अनुभाग, उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) के प्रभार के अधीन थे।

मोटर यातायात उप अनुभाग को उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के लिए गाड़ियों की खरीद स्पेयर्स पार्ट्स ऐसेम्बली और स्पेयर्स पार्ट्स स्टोर, कार्यशालाओं का सत्यापन वर्क मेन्स कम्पनसेंशन एक्ट के अधीन औद्योगिक दुर्घटना कवर, रोड़वेज गाडियों का टैक्निकल ड्रावैक्स (Drawbacks) और उनकी कार्यशीलता आदि के कार्य आवंटित थे। यह उप परिवहन आयुक्त रोड़वेज के प्रभार के अधीन था। जिसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) और स्टोर सत्यापन अधिकरी थे। वेहिकिल कन्ट्रोल आर्डर उप अनुभाग को सरकारी कोटे में से कार, स्कूटर आदि के आवंटन से सम्बन्धित कार्य आवंटित था। यह उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था।

4-17& fofo/k vuHkkx %& इस अनुभाग को टेलीफोन, सभी विविध मदों जैसे फर्नीचर, टाइपराइटर, यूनीफार्मस, स्टेशनरी की स्वीकृति और खरीद आदि, रोड़वेज के लिए भवन किराये पर लेना, सरकारी गाडियों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए गैराजों की स्वीकृति और विभागीय गाडियों का निरीक्षण, मरम्मत और निष्प्रयोज्य घोषित करने का कार्य आवंटित था। यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था। इन कार्यो में उनकी सहायता प्राविधिक निरीक्षक द्वारा की जाती थी।

4-18& lkf[;dh vuHkkx %& यह अनुभाग निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में सडक परिवहन सहित परिवहन आयुक्त संगठन की समस्त शाखाओं का सांख्यिकीय डाटा का कलेक्शन, कम्पाइलेशन और इन्टरप्रीटेशन का कार्य देखता था। जिससे प्राइवेट सेक्टर में सड़क परिवहन सुविधा विकसित करने हेतु उचित नियोजन और कार्यो को तैयार करने में

सहायता मिलती थी, प्रकाशन हेतु रिपोर्ट और सामग्री तैयार करना, वार्षिक प्रशासनिक और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और विज्ञापन का कार्य भी इसे आवंटित था। यह सहायक परिवहन आयुक्त (रोड़वेज सामान्य) के प्रभार के अधीन था।

4-19& dsUnzh; izkfIr ;k] fuxZeu] vfHkys[k] ykbczsjh fjlsI'ku vkfn %& यह उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था, तथा सम्पूर्ण कार्यालय के लिए प्रधान सहायक था।

4-20& ¼?k½ i;ZVu %& पर्यटन का विकास, परिवहन सुविधाओं के साथ पूर्णतः जुडा समझा गया और तदनुसार इसे राजकीय रोडवेज के साथ रखा गया। तत्समय जिलों में पर्यटन का कार्य विभिन्न परिक्षेत्रों के जनरल मैनेजर उत्तर प्रदेश सरकारी रोड़वेज के प्रभार मे था। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, पौड़ी, नैनीताल, और हरिद्वार में 6 सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्थापित थे। पर्यटक विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य पांच प्रमुख सेक्टरों यथा आमोद प्रमोद वाला पर्वतीय क्षेत्र, ऐतिहासिक महत्व के स्मारक और स्थान, धार्मिक महत्व के स्थान, बौद्धमठ और वाइल्ड लाइफ में विभाजित किया हुआ था। पर्यटन अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) के प्रभार के अधीन था। इसमें प्रचार अधिकारी थे जो पर्यटकों को उनकी रूचि से सम्बन्धित स्थानो के बारे में सूचना देता था और मार्गदर्शन करता था। इनके लिए परिवहन और ठहरनें की व्यवस्था करता था, टूरिस्ट बंगलों के रूप में निम्न आय होटल्स आगरा, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, इलाहाबाद और लखनऊ में बनाये गये थे। हिमालय धार्मिक मार्ग और दर्शनीय स्थलों पर लकड़ी के कैबिन बनाये गये थे। पाण्डुकेशर, घंधरिया, गौना, बिरही, पौड़ी (कन्डोलियाँ) ग्वालदम, लोकपाल, फुरकिया, ओंसला, अगोरा, माला, सुखी, भैंरोघाटी, गंगोत्री, हनुमानगंगा, यमनोत्री, कपकोट, चीना पीक (नैनीताल), सहस्त्रधारा (देहरादून), ताड़ीखेत (अल्मोड़ा), काम्पील (फारूखाबाद), भीमताल, काठगोदाम, लैन्सडौन, वयनधाम (मिर्जापुर), टांडा (मिर्जापुर), अष्टभुजा, शीतलाखेत और चिनहट (लखनऊ) में रेस्ट हाउस बनाये गये थे। गर्मी के मौसम में लंघम हाउस नैनीताल में एक ट्रांजिट कैम्प भी चलाया जाता था।

4-21& परिवहन विभाग के सतर्कता और विकास कोष्ठ (इन्टेलीजेन्स एण्ड इवैल्युएशन सैल) द्वारा उच्च दक्षता, उत्पादकता और कार्यो का त्वरित निस्तारण की दृष्टि से परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित और तर्क संगत बनाये जाने के लिए कतिपय प्रस्ताव किये गये थे। इन प्रस्तावो और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शासन (परिवहन (क) विभाग) द्वारा जून 1967 में कमेटी नियुक्त की गयी थी। कमेटी ने

अपनी रिपोर्ट जून 1969 में प्रस्तुत की थी। उसने परिवहन आयुक्त कार्यालय को रोड़वेज और नान रोड़वेज शाखाओं में विभाजित करने के प्रश्न सहित मामले के समस्त पहलुओं पर विचार किया था। इससे पूर्व सड़क परिवहन के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित मसानी कमेटी द्वारा भी राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का संचालन और मोटर गाडी कानून का प्रवर्तन/प्रशासन को एक दूसरे से अलग–अलग स्वतंत्र करने की संस्तुति की गयी थी। परिवहन संगठन की दोनों शाखाओं की संयुक्त कार्य प्रणाली की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के साथ–साथ विधिक आधार पर भी आलोचनायें होती थी। परिवहन आयुक्त का पूरा संगठन उल्लेखनीय रूप से विस्तृत होने और उसकी संयुक्त कार्यप्रणाली के कारण कार्य के निस्तारण में सामान्यतया विलम्ब और कार्य दक्षता का ह्रास होता समझा गया। ऐसी कार्यप्रणाली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी रोड़वेज, जो व्यवसायिक व्यवहार व सिद्धान्त से चलनी चाहिए थी के कार्य को विपरीत रूप से प्रभावित किया गया। उक्त स्थिति में प्रश्नगत समिति द्वारा परिवहन आयुक्त मुख्यालय कार्यालय को दो अलग–अलग विभागों यथा रोड़वेज और नान रोड़वेज विभागों के रूप में विभाजित करने की संस्तुति की गयी थी। नान रोड़वेज नकारात्मक नामकरण होने से इसे परिवहन विभाग या ट्रान्सपोर्ट विभाग कहे जाने की संस्तुति भी समिति द्वारा की गयी थी। परिवहन विभाग का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, यात्रीकर और मालकर, मोटरगाडी कानूनों का प्रशासन, प्रवर्तन शाखा और प्राइवेट सेक्टर ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित रखे जाने की संस्तुति की गयी थी। इसी प्रकार समिति द्वारा रोड़वेज डिपार्टमेन्ट उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज रखे जाने की संस्तुति की गयी थी। समिति ने इसके अतिरिक्त अन्य संस्तुतियां भी की थी, जिसमें अन्य के अतिरिक्त रोडवेज में नान रोडवेज स्टाफ की आंतरिक अदला–बदली को समाप्त करते हुए मुख्यालय कार्यालय पर उपर्युक्त दो विभागों में उसके स्पष्ट विभाजन की संस्तुति भी थी।

प्रस्तावित परिवहन विभाग के लिए परिवहन नियंत्रण (सांख्यिकी) कोष्ठ सहित, कर, स्थापना, लेखा और प्राविधिक अनुभाग और सामान्य प्रशासन अनुभाग व प्रवर्तन कार्य संस्तुत थे।

प्रस्तावित रोड़वेज डिपार्टमेन्ट में विभिन्न शाखायें और अनुभाग यथा समान्य प्रशासन अनुभाग, स्थापना और परिचालन शाखा स्थापना सहित, अनुशासनिक जांच, यातायात (ट्रैफिक) और परिचालन, श्रमिक मामलें और जन सम्पर्क अनुभाग एवं इन्जीनियरिंग एवं स्टोर अनुभाग, नियोजन और विकास अनुभाग, वित्त आडिट और लेखा

शाखा जिसमें लेखा और वाणिज्यिक लेखा अनुभाग, सांख्यिकी और ऑपरेशनल रिसर्च सेक्शन प्रबन्धक, आडिट इवैल्युएशन एण्ड ओ एण्ड एम ब्रांच, विधिक मामले और मुकदमा शाखा और भवन अनुभाग सस्तुत थे।

lEHkkxh; ifjogu lxBu

5& वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश में दस सम्भाग लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, देहरादून, और नैनीताल में थे। प्रत्येक सम्भाग सम्भागीय परिवहन अधिकारी के अधीन रखा गया था। जिसकी सहायता के लिए सम्भाग मुख्यालय पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की तैनाती की गयी थी। लखनऊ सम्भाग के लिए फैजाबाद मे तथा कानपुर सम्भाग के लिए झांसी में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्थापित किये गये थे। प्रत्येक उप सम्भागीय कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा गया था। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सदस्य सचिव था। उसे और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को तत्समय प्रवृत्त मोटरयान अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटर्स वेहिकिल्स रूल्स 1940 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी, के अधिकार प्रतिनिधानित किये गये। उन्हें यू0पी0 मोटर गाडी कराधान अधिनियम और नियमावली 1935 के अधीन कर अधिकारी के अधिकार भी दिये गये थे। वह अस्थाई परमिट जारी करने के लिए भी प्राधिकृत था। सम्भागीय और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा सम्भागीय व सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अग्रिम रूप से प्रसारित प्रोग्राम के अनुरूप दौरा करते और इन दौरो के दौरान वे शिकायतों और यातायात समस्याओं के बारे में पूछताछ करते थे। यह दौरे जनता को सम्भागीय मुख्यालय गये बिना मार्ग कर भुगतान करने, अपनी गाडियों का निरीक्षण कराने और ड्राइविंग लाइसेंस पाने की सुविधा प्रदान करते रहे।

5-1& सम्भागीय परिवहन संगठन की गतिविधियां मुख्यतः तीन शाखाओं यथा प्रशासनिक शाखा, प्राविधिक शाखा और प्रवर्तन शाखा में विभाजित रही। प्रत्येक शाखा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के प्रभार के अधीन रखी गयी।

5-2& i'kklfud 'kk[kk %& प्रशासनिक शाखा को ड्राइवर और कन्डक्टर अनुज्ञप्तियों को जारी और नवीकृत करने, गाडियों का रजिस्ट्रीकरण करने, गाडी संचालन हेतु परमिट

जारी और नवीकृत करने, मार्गो का वर्गीकरण और अधिसूचित करने और सम्भागीय परिवहन कार्यालय का लेखा और सामान्य प्रशासन का कार्य सौंपा गया था।

5-3&ikfof/kd 'kk[kk %& सम्भागीय प्राविधिक निरीक्षक द्वारा सरकारी गाडियों और सम्भागीय व सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा निजी गाडियों और सरकारी रोड़वेज की गाडियों व सार्वजनिक सेवायानों का निरीक्षण करने, ठीक हालत मे होने का प्रमाण पत्र देने और डाइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु अभ्यर्थी का ड्राइविंग टेस्ट लेने का कार्य सौंपा गया था।

5-4& iorZu 'kk[kk %& सम्भागीय परिवहन संगठन में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के प्रभार के अधीन मोटरयान अधिनियम, 1939, उत्तर प्रदेश मोटर्स वेहिकिल्स रूल्स 1940, संयुक्त प्रांत वेहिकिल्स टेक्सेशन एक्ट और रूल्स 1935, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (यात्रीकर) अधिनियम और नियमावली, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम और नियमावली, 1964 के प्राविधानों को प्रभावी और नियत्रंण करने का कार्य प्रवर्तन शाखा को सौंपा गया। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन दल गठित किये गये थे। राज्य में 1969 में ऐसे 21 दल कार्यशील थे।सम्भाग स्तर पर 10 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के अतिरिक्त लखनऊ सम्भाग में सीतापुर, कानपुर सम्भाग में झांसी, बरेली सम्भाग में मुरादाबाद और नजीबाबाद, और आगरा सम्भाग में अलीगढ़ में एक–एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) थे। प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय पर यात्रीकर अधिकारी और मालकर अधिकारी तैनात किये गये थे। जिनका कार्य कर अधीक्षकों की सहायता से अनन्य रूप से सम्बन्धित कराधान अधिनियम और नियम का कार्य देखना रहा। मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन परिवहन आयुक्त और उप और सहायक परिवहन आयुक्त को प्रतिनिधानित शक्तियों की भाँति सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को भी अधिकार प्रतिनिधानित किये गये।

6& तत्समय राज्य में 6 सम्भागीय परिवहन मजिस्ट्रेट थे। जिनका मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, आगरा और मेरठ में था, जो परिवहन गाडियों के अपराधो से सम्बन्धित अभियोगो का निस्तारण करते थे। प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ एक सहायक लोक अभियोक्ता था जो सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी के नियत्रंणाधीन कार्य करते थे। सम्भागीय परिवहन मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम रूप से सूचित प्रोग्राम के अनुसार निम्न स्थानों पर न्यायालय लगाते थे।

e[;ky;	U;kf;d ikf/kdkj dk ftyk
वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, और आजमगढ़
इलाहाबाद	इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़
गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा और बहराईच
आगरा	आगरा, मथुरा और मैनपुरी
अलीगढ़	अलीगढ़, बुलन्दशहर और एटा
कानपुर	कानपुर, फारूखाबाद, फतेहपुर और इटावा
झांसी	झांसी और जालोन
महोवा	हमीरपुर ,बाँदा
मेरठ	मेरठ
मुजफ्रनगर	मुजफ्रनगर
सहारनपुर	सहारनपुर
देहरादून	देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल
बरेली	बरेली, बदायुँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर
हल्द्वानी	नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ
मुरादाबाद	मुरादाबाद और रामपुर
नजीबाबाद	पौडी गढवाल और बिजनौर
लखनऊ	राय बरेली, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी
फैजाबाद	फैजाबाद और सुल्तानपुर
सीतापुर	लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई

mRrj izns'k ljdkj jksMost

7& उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज ग्रामीण व नगर बस दोनों सेवायें परिचालित करती थी। वह विशेष अवसरों के लिए बस उपलब्ध कराती थी। ट्रेन टाइमिंग को दृष्टिगत रखते हुए और आउट एजेन्सी स्थापित करते हुए आर्थिक रूप से उपयोगी मार्गो को परिचालन हेतु

अधिग्रहित करते हुए रेल सडक समन्वय स्थापित करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। आउट एजेन्सी आंशिक रूप से रोड़वेज बसों और आंशिक रूप से रेल गाडियों से यात्रा करने के लिए टिकटों की खरीद की सुविधा उपलब्ध कराती थी। निजी संचालको द्वारा जिन मार्गो पर सेवा उपलब्ध करायी जाती उन पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की सहमति से मार्गो का वर्गीकरण करते हुए उसका प्रभावी प्रवर्तन कर रेल–रोड समन्वय स्थापित किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के संगठन में 12 परिक्षेत्र थे जिनके मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, नैनीताल, गोरखपुर, देहरादून, और टनकपुर थे। प्रत्येक परिक्षेत्र जनरल मैनेजर के प्रभार के अधीन था। कानपुर में चीफ मैकनिकल इन्जीनियर के प्रभार के अधीन रोड़वेज केन्द्रीय कार्यशाला बनायी गयी।

7-1& जनरल मैनेजर के पूर्ण नियत्रंणाधीन रोड़वेज परिक्षेत्र के कार्यकलाप चार शाखाओं में विभाजित थे यथा :–

(i) सामान्य प्रशासन–अधिष्ठान मामलों और अन्य आन्तरिक कार्यो हेतु;

(ii) यातायात और परिचालन–श्रम मामले, नियोजन और विकास, सांख्यिकी हेतु;

(iii) कैश, आडिट और लेखा; तथा

(iv) इन्जीनियरिंग और स्टोर।

7-2& प्रथम दो शाखायें जनरल मैनेजर के सीधे पर्यवेक्षण और नियत्रंण मे थी। जबकि कैश, आडिट और लेखा शाखा लेखाधिकारी के पर्यवेक्षण में थी जिसकी सहायता के लिए कुछ परिक्षेत्रों में सहायक लेखाधिकारी थे। इन्जीनियरिंग और स्टोर शाखा सर्विस मैनेजर के पर्यवेक्षण में रही। ये दोनों अधिकारी वास्तव में जनरल मैनेजर के अधीन शाखा प्रभारी थे। पर्यटन से सम्बन्धित मामलें भी जनरल मैनेजर द्वारा देखे जाते थे जिसकी सहायता के लिए कुछ स्थानों पर परिक्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी थे।

रोड़वेज परिक्षेत्र सेवाओं के परिचालन हेतु उप परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक उप परिक्षेत्र असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर (ट्रैफिक) के प्रभार के अधीन था जो परिचालन सेवाओं को दक्षता से चलाने, जनता की शिकायतों की छानबीन कर उन्हें दूर करने और ट्रैफिक सर्वे आदि के लिए उत्तरदायी था। असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर (ट्रैफिक) की सहायता के लिए ट्रैफिक सुपरटेन्डेन्ट था जो असिस्टेन्ट ट्रैफिक इन्सपेक्टर के कार्यो के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त सेवाओं के परिचालन और यातायात से सम्बन्धित समस्त समस्याओं को देखता था ।

7-3& रोड़वेज के उप परिक्षेत्र मे एक या अधिक डिपो रखे गये थे। डिपो प्रशासनिक प्रचालन इकाई थी जो प्रशासन, लेखा, परिचालन में मितव्यता, गाडियों का अनुरक्षण और डिपों प्रचालन लेखा तैयार करने का कार्य करता था। डिपो समय–समय पर विविध गाडियों की संख्या का परिचालन नियंत्रित करता था। डिपो इन्चार्ज, डिपो की परिचालन सीमा और आकार के आधार पर या तो स्टेशन सुपरटेन्डेन्ट या सीनियर स्टेशन इन्चार्ज हो सकता था। वह डिपो का प्रधान था और उसे सेवाओं के सुगम, दक्ष और मितव्ययी प्रचालन के लिये उत्तरदायी बनाया गया। डिपों का कार्यकारी संगठन, परिक्षेत्र की भांति था। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक एण्ड आपरेशनल कैश, एकाउण्टस एण्ड आडिट (व्यवसायिक लेखा और सांख्यिकी सहित), वर्कशाप, और स्टोर थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिवाय डिपों की अन्य शाखायें बस संचालन की आवश्यकता के अनुरूप सिफ्ट वाइज कार्य करती रही थी। डिपो इन्चार्ज की सहायता के लिए उतनी संख्या मे सीनियर स्टेशन इन्चार्ज, जूनियर स्टेशन इन्चार्ज जिनकी डिपो में परिचालन की सीमा और आकार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझी गयी रखे गये थे। इसकें अतिरिक्त एक वरिष्ठ/कनिष्ट फोरमैन को डिपो कार्यशाला का इन्चार्ज बनाया गया था। डिपो के स्टोर, सेक्शन का इन्चार्ज स्टोर कीपर और कैश एकाउण्ट और आडिट का इन्चार्ज वाणिज्यिक लेखाकार था। डिपो स्टेशन, सब–डिपो स्टेशन और बस स्टेशन पर आवश्यकतानुसार और उससे परिचालित होने वाले मार्गो को ध्यान में रखते हुए, बुकिंग कार्यालय खोले गय थे। ये बुकिंग कार्यालय डिपो इन्चार्ज, सब डिपो इन्चार्ज या बस स्टेशन इन्चार्ज के पर्यवेक्षण में कार्य करते थे। इसके अलावा जुनियर स्टेशन इन्चार्ज या बुकिंग क्लर्क के अधीन डिपों स्टेशन के नियंत्रणाधीन अन्य बाह्य स्टेशनों पर बुंकिग आफीसेज खोले गये थे जिसमें समान्यतया बुकिंग क्लर्क, कार्यालय सहायक, लेजर क्लर्क, सहायक कैशियर और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ आवश्यकतानुसार रखें गये थे।

ifj{k=h; dk;'kkyk;s vkj vuj{k.k fMiks

7-4& गाड़ियों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये प्रत्येक परिक्षेत्र में एक परिक्षेत्रीय कार्यशाला और कई अनुरक्षण डिपो बनाये गये थे। एक लाख किमी तक चल चुकी गाडियों की भारी मरम्मत, अनुरक्षण और पुनरोद्वार करने का कार्य परिक्षेत्रीय कार्यशाला द्वारा किया जाता था। दुर्घटनाग्रस्त गाडियों की मरम्मत भी क्षेत्रीय कार्यशाला द्वारा किया जाता था। अग्रिम रूप से तैयार किये गये अनुरक्षण शेडयुल के अनुसार अनुरक्षण डिपो, सामान्य अनुरक्षण कार्य करते थे। श्रम नियंत्रण, लूब्रीकेंन्ट व ईधन के मितव्ययी उपयोग

को दृष्टिगत रखते हुये परिक्षेत्र की कार्यशालाओं और स्टोर की दक्ष कार्यप्रणाली के लिये सर्विस मैनेजर, जिसकी सहायता के लिये एक सहायक परिवहन इंजीनियर व कहीं–कहीं पर सहायक सर्विस मैनेजर उत्तरदायी थे। परिक्षेत्रीय कार्यशाला में उसके नियंत्रण में एक सीनियर फोरमैन ग्रेड I, एक स्टोर अधीक्षक तथा प्रत्येक डिपो में सीनियर या जूनियर फोरमैन रखे गये थे।

dkuij e jkMo t dUnh; dk;'kkyk vkj dUnh; Hk.Mkj

7-5& बस बाडी का निर्माण करना, इंजन की रीकन्डीशनिंग करना, व अन्य एसेम्बलीज, स्पेयर पार्टस की व्यवस्था करना, टायरों की रीट्रीडिंग करना और गाडियों को रिनोवेट करने के लिए चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रभार के अधीन कानपुर में रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला और केन्द्रीय स्टोर संगठन स्थापित किया गया था। केन्द्रीय कार्यशाला की प्रोडक्शन ब्रांच में दो ग्रुप इंजीनियर, सहायक परिवहन इंजीनियर, एक प्रोडक्शन इंजीनियर और कई फोरमैन और अन्य कार्यशाला स्टाफ रखा गया था। कार्यशाला में एक टाइम कार्यालय, डिस्पेंसरी, एक लैबरोट्री, एक ड्राइंग ऑफिस और सुरक्षा स्टाफ रखा गया था। अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 के अधीन अप्रेन्टिस ट्रेंनिग की व्यवस्था सर्विस मैनेजर स्तर के अधिकारी के अधीन अवस्थित की गयी थी। कार्यशाला की लेखा शाखा लेखा अधिकारी के अधीन थी जो स्टोर सहित कार्यशाला का लेखा के पर्यवेक्षण करता था। उसकी सहायता के लिये दो सहायक लेखाधिकारी थे। स्टोर की उपलब्धता, प्रबन्धन और कन्ज्यूमिंग यूनिट को उसका वितरण, उत्पादित सामग्री का क्वालिटी कन्ट्रोल और स्पेयर पार्ट्स के उपयोग और विभिन्न मुख्य एसेम्बलीज की लाइफ इक्सपेन्टसी नियंत्रण का कार्य स्टोर आफीसर, स्पेयर पार्ट्स कन्ट्रोल ऑफीसर, स्टोर वेरीफिकेशन ऑफीसर, स्टोर सुपरटेन्डेन्ट, के अधीन था।

7-6& सुपरवाइजरी व प्रशासनिक स्टाफ के सिवाय रोडवेज की प्राविधिक और परिचालन शाखाओं में कार्य करने वाला समस्त स्टाफ, कार्यकरण के घन्टे, साप्ताहिक रेस्ट, अवकाश, छुट्टी, ओवर टाइम का भुगतान आदि मामलों में कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों से शासित थे।

8& जैसा कि पूर्व मे अवगत कराया गया है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय को रोडवेज और नान रोडवेज शाखाओं में विभाजित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1967 में एक समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1969 में दे दी थी। जिस पर व अन्य समस्त स्थितियों पर विचारोपरान्त परिवहन संगठन दो भागों में विभाजित हो गया

है& (1) परिवहन विंग और (2) रोडवेज विंग। कालान्तर में रोडवेज विंग दिनांक 1 जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के रूप में स्थापित हो गया। परिवहन विंग परिवहन आयुक्त के प्रभार के अधीन बना रहा। जिसकी सहायता के लिये मुख्यालय पर तीन अपर परिवहन आयुक्त और कई उप परिवहन आयुक्त व अन्य राजपत्रित अधिकारी थे। राज्य कई परिक्षेत्रों में बंटा था। प्रत्येक परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्रीय (परिक्षेत्र) के प्रभार के अधीन था। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में 13 उप परिवहन आयुक्त और उनके अधीन कई उप सम्भागीय अधिकारी थे।

8-1& Hkkjr ljdkj dh dfri; egRoi.k ifj"kn vkj lfefr;k ftuls ifjogu foHkkx lEcfU/kr gS bl idkj gS%&

ifjogu fodkl ifj"kn jkT; dk ifjogu e=h bldk inu lnL; gS।

8-2& jkT; dh egRoi.k ifjogu ikf/kdj.k] lfefr;k vkfn bl idkj gS&

¼1½ jkT; ifjogu ikf/kdj.k %& मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन विहित कृत्यों का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 68 के अधीन परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता मे राज्य परिवहन अधिकरण का गठन किया गया है। इसमें वर्तमान में तीन अन्य सदस्य है तथा अपर परिवहन आयुक्त इसके सचिव हैं।

¼2½ lEHkkxh; ifjogu ikf/kdj.k %& मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन प्रत्येक सम्भाग में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण गठित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पदेन सचिव हैं। इसमें दो अन्य सदस्य हैं। उत्तरांचल में चार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया है । सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मोटरयान अधिनियम, 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन प्रदत्त अधिकार एवं कृत्यों का निर्वहन करती है।

¼3½ jkT; ifjogu vihy vf/kdj.k :– राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों के आदेशों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अधीन राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा सुनी जाती है।

¼4½ mRRkjk[k.M] lM+d lqj{kk ifj"kn %& राज्य स्तर पर सडक यातायात के योजनाबद्ध रूप से विकास तथा सडक यातायात की समस्याओं पर विचार कर शासन को सलाह देने हेतु माननीय परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया है।

9& सड़क परिवहन टैक्नोलॉजी में विकास, यात्री एवं माल परिवहन की रीति में परिवर्तन, देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार व विकास और मोटर गाडी प्रबन्धन में विकसित तकनीकी को देखते हुए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि मोटरयान अधिनियम, 1939 के स्थान पर नया कानून बनाया जाय।

9-1& सड़क परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न समितियों जैसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, सड़क सुरक्षा समिति, द्वारा भी विचार किया गया और उनके द्वारा इस कानून को सरल, तर्कसंगत और अध्यावधिक करने की संस्तुतियां की गयी। तद्नुसार मोटर यान अधिनियम, 1939 के समस्त उपबन्धों का पुनरावलोकन करके वर्तमान अधिनियम के स्थान पर नया विधायन तैयार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1984 में एक कार्यकारी दल गठित किया गया। कार्यकारी दल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 तैयार किया गया। यह अधिनियम मोटरयान अधिनियम, 1939 को निरसित करते हुये दिनांक 01–07–1989 से प्रवृत्त हुआ। इसके अधीन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 बनायी गयी, जिसकी व्यवस्थायें सम्पूर्ण देश मे समान रूप से लागू हैं।

9-2& मोटर गाड़ियों पर मार्गकर संयुक्त प्रांत मोटरगाडी कराधान अधिनियम, 1935 सवारी गाडियों पर यात्रीकर, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 एवं माल वाहनों पर मालकर, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम, 1964 के अधीन लिया जाता रहा। कर अधिनियमों की विविधता के कारण उनके प्रशासन मे होने वाली कठिनाई, समस्त वाहन चालकों को एक ही खिड़की पर कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने एवं मोटरवाहनों पर कर लगाये जाने व उसके उदग्रहण को तर्क संगत बनाये जाने के उद्देश्य से उक्त तीनों अधिनियमों को निरसित करते हुए उनके स्थान पर एक ही अधिनियम, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 बनाया गया। जिसमें मार्गकर के स्थान पर कर एवं यात्रीकर व मालकर के स्थान पर अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गयी। उक्त अधिनियमों के अधीन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1997 बनायी गयी। उक्त अधिनियम व नियमावली, 31–07–2003 तक उत्तरांचल में लागू रही।

9-3& उत्तराखण्ड़ राज्य बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 को निरसित करते हुए उसके स्थान पर उत्तराखण्ड़ राज्य के लिए उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 बनाया जो दिनांक 01–08–2003

से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के अधीन उत्तरांचल मोटरगाडी कराधान सुधार नियमावली, 2003 बनायी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ ''उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 बनायी गयी है।''

ifjogu vk;Dr dk lxBu

उत्तरांखण्ड़ राज्य में परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष स्तर पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, सम्भाग स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून, सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पौड़ी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, हल्द्वानी एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा हैं। इनके अतिरिक्त उप सम्भाग स्तर पर ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कोटद्वार, उधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ कुल 11 उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय हैं। राज्य से बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार के अधीन उत्तरांखण्ड़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों से सीमा पर कर एवं शुल्क वसूली करने हेतु कुल 19 चैक पोस्ट स्वीकृत हैं। जिसमें से आशारोड़ी, कुल्हाल, नारसन, भगवानपुर, चिड़ियापुर, कौड़िया, रुद्रपुर, काशीपुर, पुलभट्टा, दौराहा कुल 10 चेक पोस्ट अभी क्रियाशील है।

उत्तराखण्ड़ राज्य में परिवहन विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

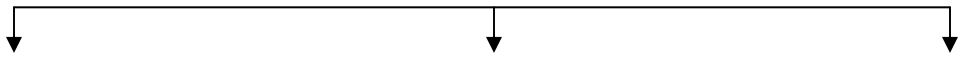

↓ परिवहन आयुक्त | ↓ उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम | ↓ राज्य परिवहन अपील अधिकरण

ifjogu vk;Dr dk;ky;] mRRkjk[k.M A

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड़ के संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य निम्नवत् हैः–

ifjogu foHkkx dk mnns'; %&

किसी भी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति हेतु सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नव सृजित उत्तरांचल राज्य में परिवहन विभाग, परिवहन क्षेत्र को अधिकाधिक नियमित, जनोपयोगी एवं सुरक्षित बनाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। विभाग के मुख्य उद्देश्यः–

- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का पंजीयन सुनिश्चित कराना।
- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार चालकों को लाईसेन्स जारी करने की व्यवस्थाएं करना।
- वाहनों से करों की वसूली द्वारा राजस्व अर्जित करना।
- अधिकाधिक जनता को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु परमिट सम्बन्धी व्यवस्थाएं करना।
- अनाधिकृत संचालन पर नियन्त्रण रखना।
- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रवर्तन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण।
- वाहन जनित प्रदूषण को नियन्त्रण में रखना।

lxBu dh LFkkiuk %–

परिवहन विभाग की स्थापना पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1948 में मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 133ए के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी। इस अधिनियम के स्थान पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) दिनांक 01–07–89 से प्रवृत्त हो गया है जिसकी धारा 213 में परिवहन विभाग की स्थापना उपबन्धित है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तराखण्ड़ राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को हुयी। उत्तराखण्ड़ राज्य की स्थापना के उपरान्त मोटरयान अधिनियम की उक्त व्यवस्थाओं के अधीन वर्तमान में उत्तराखण्ड़ राज्य में परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड़, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में स्थापित है।

lxBu dk <kpk %– परिवहन आयुक्त कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है–

परिवहन आयुक्त

अपर परिवहन आयुक्त

उपपरिवहन आयुक्त (कर) | उपपरिवहन आयुक्त (विधि एंव न्यायाधिकरण) | सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण) | वित्तनियंत्रक व0लेखाधिकारी

सहायक परिवहन आयुक्त

(प्रशासन)

सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक)	सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी (मुख्यालय)	संख्याधिकारी	सहा0लेखाधिकारी (बजट एंव लेखा)	सहा0लेखाधिकारी (आडिट)

कर / रूल्स अनुभाग	प्रर्वतन अनुभाग	विधि एंव न्याधिकरण अनुभाग	एस0टी0ए0 अनुभाग	एम0आई0एस0 अनुभाग	प्राविधिक अनुभाग

सेन्ट्रलपूल एंव सहायता अनुभाग	सामान्य प्रशासन / अधिष्ठान एंव सर्तकता अनुभाग	बजट एंव लेखा अनुभाग	आडिट अनुभाग

उत्तरांचल राज्य में शासनादेश संख्या– 690 / 59 / स0परि0 / कैम्प / 2001 दिनांक 25 जून, 2001 के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त संगठन के ढांचे का गठन करते हुये कुल 459 पदों का सृजन किया गया था। इनमें से परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिए 79 पद स्वीकृत किये गये थे। प्रदेश में वाहनों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विभाग के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि होने, प्रभावी चैकिंग सुनिश्चित कर अनाधिकृत संचालन प्रभावी अंकुश रखने एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या–113 / परि0 / 545(परि) / 2003 दिनांक 26, फरवरी, 2004 द्वारा परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करते हुए परिवहन आयुक्त संगठन में कुल 816 पदों का सृजन किया गया है।

ifjogu vk;Dr dk;ky;] mRRkjk[k.M]
dYgku] lgL=/kkjk jkM] ngjknuA
Qku u0& 0135&2608105]2608108

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड़, के कार्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत 79 पदों के स्थान पर दिनांक 26–02–2004 के शासनादेश द्वारा कुल 88 पद स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में दिनांक 20–02–2004 के उक्त शासनादेश के साथ पठित शासनादेश संख्या 213 / ix / 543 / 2008 दिनांक 05–08–2008 एवं शासनादेश संख्या 358 / ix / 543 / 08 दिनांक 01–12–2008 के अनुसार अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 102 है। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

Ø0 l0	in uke	dqy Loh— r in	osrueku	osru cSM dk vuqlkj osrueku	xzsM osru
1	परिवहन आयुक्त	01	संवर्गानुसार	आई0ए0एस0 संवर्गानुसार	संवर्गानुसार
2	अपर परिवहन आयुक्त	01	14,300—18,300	37400—67000	8700
3	उप परिवहन आयुक्त	03	12,000—16,500	15600—39100	7600
4	सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	01	10,000—15,200	15600—39100	6600
5	वित्त नियन्त्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	संवर्गानुसार	संवर्गानुसार	संवर्गानुसार
6	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	02	8,000—13,500	15600—39,100	5400
7	सहायक लेखाधिकारी	01	7450—11,500	9300—34,800	4600
8	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	7450—11,500	9300—34,800	4600
9	प्रशासनिक अधिकारी	11	5,500—9,000	9300—34,800	4200
10	सहायक अभियोक्ता	01	5,500—9,000	9300—34,800	4200
11	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—1	01	6,500—10,500	9300—34,800	4200
12	व्यैयक्तिक सहायक ग्रेड—2	02	5,500—9,000	9300—34,800	4200
13	संख्या सहायक	01	5,000—8,000	9300—34,800	4200
14	सम्परीक्षक / ज्येष्ठ लेखापरीक्षक	02	5,500—9,000	9300—34,800	4200
15	लेखा परीक्षक	01	4,500—7,000	5200—20,200	2800
16	आशुलिपिक कम कन्सोलआपरेटर	03	5,,000—8,000	9300—34,800	4200
17	आशुलिपिक कम व0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	02	4,000—6,000	5200—20,200	2400
18	संकलनकर्ता	01	4,000—6,000	5200—20,200	2400
19	मुख्य सहायक कम व0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	09	4,500—7,000	5200—20,200	2800
20	प्रवर सहायक कम व0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	09	4,000—6,000	5200—20,200	2400
21	कनिष्ट सहायक कम क0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	14	3,050—4,590	5200—20,200	1900
22	लेखाकार	03	5,500—9,000	9300—34,800	4200
23	चालक / प्रर्वतन चालक	09	3,050—4,590	5200 20200	1900
24	प्रर्वतन पर्यवेक्षक	01	3,050—4,590	5200—20,200	1900
25	प्रर्वतन सिपाही	09	2,750—4,400	5200—20,200	1800
26	अनुसेवक / चौकीदार / सफाईकार	12	2550—3200	4440—7440	1300
	;ksx	102			

संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों एवं चैकपोस्टों हेतु सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

Ø0 l0	in uke	dqy Lohd`r in	osrueku	osru cSaM dk vuqlkj osru	xzsM osru
1–	संभागीय परिवहन अधिकारी	04	10,000–15,200	15,600–39,100	6600
2–	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	21	8,000–13,500	15,600–39,100	5400
3–	परिवहन कर अधिकारी–1	19	6,500–10,500	9300–34,800	4200
4–	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	04	6,500–10,500	9300–34,800	4200
5–	प्रशासनिक अधिकारी	19	5500–9000	9300–34,800	4200
6–	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	15	5,000–8,000	9300–34,800	4200
7–	परिवहन कर अधिकारी–2	78	5,000–8,000	9300–34,800	4200
8–	आशुलिपिक कम व0डाटाइन्ट्रीआपरेटर	04	4000–6000	5200–20,200	2400
9–	मुख्य सहायक कम व0डाटाइन्ट्रीआपरेटर	69	4500–7000	5200–20,200	2800
10–	प्रवर सहायक कम व0डाटाइन्ट्रीआपरेटर	84	4000–6000	5200–20,200	2400
11–	कनिष्ट सहायक कम क0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	95	3050–4590	5200–20,200	1900
12–	लेखाकार	15	5500–9000	9300–34,800	4200
13–	सहायक लेखाकार	04	4500–7000	5200–20,200	2800
14–	चालक/प्रर्वतन चालक	19	3050–4590	5200–20,200	1900
15–	प्रर्वतन पर्यवेक्षक	15	3050–4590	5200–20,200	1900
16–	प्रर्वतन सिपाही	184	2750–4400	5200–20,200	1800
17–	चतुर्थ श्रेणी	62	2550–3200	4440–7440	1300
18–	दफ्तरी	03	2610–3540	4440–7440	1400
	;ksx	714			

ifjogu vk;qDr laxBu@dk;kZy; ds dk;Z%&

परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निम्न कार्य निष्पादित किये जाते हैः–

1– केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रदत्त कार्य।

2– केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन प्रदत्त कार्य।

3– उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 (यथा उत्तराचंल में लागू) के अधीन प्रदत्त कार्य।

4– उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

5– उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

6— राज्य की परिवहन नीति, मोटरयान कर नीति, करों में संशोधन व मोटरयान नियमावली बनाये जाने एवं संशोधन सम्बन्धी कार्य।

7— राज्य परिवहन प्राधिकरण सम्बन्धी कार्य।

8— परिवहन सुविधाओं के लिए जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना।

9— सरकारी गाड़ियों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं निस्तारण हेतु स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

10— अनाधिकृत संचालन की रोकथाम।

11— मा0 न्यायालय में दायर याचिकाओं में पैरवी करना।

12— परिवहन विभाग का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य। यथा—कार्मिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाही आदि।

13— सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों एवं चैकपोस्टों पर नियंत्रण।

14— परिवहन विभाग के संगठन की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करना एवं इससे सम्बन्धित कार्य।

15— परिवहन विभाग का बजट सम्बन्धी कार्य।

16— अधीनस्थ कार्यालयों के राजस्व वसूली, बकाया करों की वसूली एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करना।

17— महालेखाकार की आडिट आपत्तियों की समीक्षा/निस्तारण हेतु कार्यवाही करना।

18— अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक आडिट करना।

19— परिवहन विभाग की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट तैयार करना।

20— दुर्घटना राहत एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धित कार्य।

21— राज्य स्तर पर विभागीय ऑकड़ों का संकलन करना।

22— विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23— चार धाम यात्रा अवधि में परिवहन सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर नियन्त्रण।

24— परिवहन विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का कम्प्यूट्रीकरण करना।

25— मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु मशीनों, उपकरणों, उपस्करों की खरीद करना।

26— कार्यालयों हेतु किराये पर लिये गये भवनों के किराये की स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

27— निर्वाचन में मतदान व्यवस्थाओं हेतु वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

dk;l dk lpkyu %&कार्य विषय के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय मे कार्य संचालन हेतु परिवहन आयुक्त के कार्यालय ज्ञाप

सं0–38/अधि0/6–2/2010 दिनांक 26.03.2010 द्वारा निम्न अनुभागो के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

Øe l0	vuHkkx dk uke	vkofVr e[; dk;Z
1	अधिष्ठान/ सामान्य प्रशासन	1– प्रवर्तन कर्मी को छोडकर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– प्रवर्तन कर्मियों के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य। 4– उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 5– शासन एवं विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। 6– कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 7– चार धाम यात्रा सम्बन्धी कार्य। 8– लोक सभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 9– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 10– डाक निष्काषन सम्बन्धी कार्यं 11– फर्नीचर/स्टेशनरी आदि का क्रय एवं अनुरक्षण। 12– भवनों की मरम्मत, पानी/बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य।
2	एस0टी0ए0 अनुभाग	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य। 7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/माल भाडे की दरों का निर्धारण। 10– परमिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 11– विधानसभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
3, 4 एवं 5	लेखा/ऑडिट/सेन्ट्रल पूल	1– ऑडिट सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 4– सेन्ट्रल पूल में प्राप्त ड्राफ्टों का कोषागार में भुगतान एवं रख रखाव। 5– सेन्ट्रल पूल की क्लीयरेन्स हाउस बैठकों में प्रतिभाग करना।

		6– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 7– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 8– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 9– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण सम्बन्धी कार्य। 10– लेखा/बजट/आडिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
6	टी0आर0 (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटर यान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी कार्य। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य। 7– अनुभाग सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
7	प्राविधिक अनुभाग	1– नई लॉच होने वाली वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें। 6– लाईसेन्स/फिटनेस/गैराज/प्रशिक्षण संस्थान आदि कार्य सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
8	प्रवर्तन अनुभाग	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– प्रवर्तन कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवर्तन कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– प्रवर्तन कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 4– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 5– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य। 6– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 7– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण। 8– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का

		संकलन। 9— राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं का ब्यौरा। 10— समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन। 11— प्रवर्तन सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 12— अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का क्रय। 13— विभागीय वाहनों का क्रय एवं रख रखाव। 14— प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का क्रय एवं रख रखाव।
9	विधि एवं न्यायाधिकरण	मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य। 2— मा0 न्यायालय सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
10	एमआईएस	1— विभिन्न अनुभागों से संकलित विवरण प्राप्त कर उन्हें एकरूप में संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2— मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3— परिवहन विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
11	आरटीआई	सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य। सूचना के अधिकारी सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
12	कम्प्यूटर	विभाग में कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य एवं एनआईसी के साथ समन्वय। 2— कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव।
13	नियोजन	1— नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 2— विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 3— योजना सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।

उपरोक्तानुसार अनुभागों को आवंटित कार्य का सम्पादन करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की तैनाती की गयी हैः—

d0 l0	vuHkkx dk uke	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke lo Jh	inuke
1	सा0प्र0/अधिष्ठान/टीआर/नियोजन/कम्प्यूटर	डी0पी0 सकलानी	प्रशासनिक अधिकारी
		नरेश संगल	प्रशासनिक अधिकारी
		नवीन मैठाणी	मुख्य सहायक
		प्रमोद नौडियाल	मुख्य सहायक
		विपिन रमोला	प्रवर सहायक
		यशवीर सिंह बिष्ट	प्रवर सहायक
		विनोद पाठक	क0सहायक
		श्रीमती बीना	क0सहायक
		श्रीमती नीरा लोहनी	क0सहायक
2	एस0टी0ए0	रमेश सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी

		नन्द किशोर लोहिया	क0सहायक
		शान्ति प्रसाद मैठाणी	क0सहायक
		मनीष चन्द्रा	क0सहायक
3	प्राविधिक/प्रवर्तन/एमआइएस	हीरा सिंह बर्गली	प्रशासनिक अधिकारी
		गिरीश चन्द्र	प्रवर सहायक
		धर्मपाल	मुख्य सहायक
		उमेश चन्द	प्रवर सहायक
4	विधि एवं न्यायाधिकरण आरटीआई	हर्षमणी सेमवाल	सहायक अभियोक्ता
		मुकेश नेगी	क0सहायक
5	लेखा, सेन्ट्रल पूल एवं ऑडिट	महेन्द्र कुमार	लेखाकार
		मोहन लाल	मुख्य सहायक
		सुधीर राणा	क0सहायक
		कमलकान्त सेमवाल	क0सहायक
		श्रीमती नीता भण्डारी	क0सहायक

{k=h; dk;kZy;

परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष है और उनके अधीन मुख्यालय पर तैनात स्टाफ के अतिरिक्त निम्नलिखित संभागीय/उप संभागीय कार्यालय एंव चैकपोस्ट स्थापित है :–

Ø0 l0	lHkkxh; ifjogu dk;kZy;	njHkk"k l[;k	lEcfU/kr tuin
1	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, 105 राजपुर रोड़, देहरादून।	0135–2743432	देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लोअर बाजार, पौडी।	01368–223003	पौडी गढवाल, चमोली एवं रूद्रप्रयाग
3	सम्भागीय परिवहन कार्यालय कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।	05946–260207	नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं चम्पावत
4–	सम्भागीय परिवहन कार्यालय लोधिया बाजार, अल्मोड़ा।	05962–254009	अल्मोड़ा, बागेश्वर, एवं पिथौरागढ़

mi lHkkx LRkjh; dk;kZy; & जनता की सुविधा हेतु उक्त संभागीय परिवहन कार्यालयो के अतिरिक्त निम्न उप संभागीय परिवहन कार्यालय स्वीकृत है :–

Ø0l0	mi lHkkxh; ifjogu dk;kZy;	njHkk"k l[;k

1–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, समीप दुदाधारी आश्रम, हरिद्वार।	01334–260121
2–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बाईपास मार्ग, ढालवाला, ऋषिकेश (देहरादून)	0135–2430623
3–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बौराडी बस अड्डे के पास, नई टिहरी।	01376–233623
4–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बड़ेथी, उत्तरकाशी।	01374–211174
5–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गुलाबराय, रूद्रप्रयाग।	01364–233914
6–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, अपर बाजार, कर्णप्रयाग (चमोली)	01363–244397
7–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड, उधमसिंहनगर।	05944–247620
8–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऐंचोली, पिथौरागढ़।	05964–228222
9–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, खटीमा रोड़, टनकपुर (चम्पावत)	05943–266498
10–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कांडा रोड़, बागेश्वर।	05963–220099
11–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, श्री बद्रीनाथ रोड, कोटद्वार (पौड़ी)	01382–229412

ifjogu p|d ikLV & उत्तरांचल राज्य से बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार के आधार पर उत्तरांचल राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन से सीमा पर कर एवं शुल्क वसूल करने हेतु निम्न चैकपोस्टे स्वीकृत हैः–

Ø0 l|0	p|d ikLV dk uke	tuin	p|d ikLV fLFkr g|	
			ekx	dk uke	jkT;
1	आशारोडी	देहरादून	देहरादून–सहारनपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
2	कुल्हाल	देहरादून	देहरादून–पौंटा	हिमाचल प्रदेश (क्रियाशील)
3	तिमली	देहरादून	सहारनपुर–विकासनगर	उत्तर प्रदेश (–)
4	त्यूनी	देहरादून	त्यूनी–पौंटा साहिब	हिमाचल प्रदेश (–)
5	भगवानपुर	हरिद्वार	रूडकी–सहारनपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
6	मंगलौर (नारसन)	हरिद्वार	रूडकी–दिल्ली	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
7	चिड़ियापुर	हरिद्वार	हरिद्वार–नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
8	कौडिया	पौडी	कोटद्वार–नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
9	रूद्रपुर	उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर–रामपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
10	काशीपुर	उधमसिंहनगर	काशीपुर–मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
11	बाजपुर	उधमसिंहनगर	बाजपुर–स्वार–रामपुर	उत्तर प्रदेश (–)
12	जसपुर	उधमसिंहनगर	धामपुर–अफजलगढ़–काशीपुर	उत्तर प्रदेश (–)
13	पुलभट्टा	उधमसिंहनगर	हल्द्वानी–बरेली	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
14	दौराहा	उधमसिंहनगर	काशीपुर–रामपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
15	मंजौला	उधमसिंहनगर	खटीमा–पीलीभीत	उत्तर प्रदेश (–)
16	नादेही	उधमसिंहनगर	धामपुर–काशीपुर	उत्तर प्रदेश (–)
17	सितारगंज	उधमसिंहनगर	सितारगंज–पीलीभीत	उत्तर प्रदेश (–)
18	मेलाघाट	उधमसिंहनगर	खटीमा–मेलाघाट–पुरनपुर	उत्तर प्रदेश (–)
19	बनबसा	चम्पावत	बनबसा–नेपाल बॉर्डर	नेपाल (–)

vLFkk;h ;k=k p|d ikLV

¼lekU;r% ;k=kdky e vily l vDVoj d e/; fd;k'khy½

de l0	pd ikLV dk uke	tuin	ekx ftl ij pd ikLV fLFkr g
1	2	3	4
1	भद्रकाली	टिहरी गढ़वाल	ऋषिकेश–गंगोत्री
2	तपोवन	टिहरी गढ़वाल	ऋषिकेश–बद्रीनाथ
3	सत्यनारायण	देहरादून	हरिद्वार–देहरादून
4	कुठालगेट	देहरादून	देहरादून–मंसूरी
5	डामटा	देहरादून	विकासनगर–उत्तरकाशी

jkT;@lHkkxh; ifjogu ikf/kdj.kk dk xBu %&

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण गठित किये गये हैं:–

Ø0 l0	ifjogu ikf/kdj.k dk uke	ikf/kdj.k dk fofufn"V {k=
1–	राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य
2–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपद
3–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी	पौडी गढवाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद
4–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी	नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं चम्पावत जनपद
5–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद

यात्री वाहनों को सम्पूर्ण भारतवर्ष/राज्य/अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अपने विनिर्दिष्ट क्षेत्रान्तर्गत् मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

lEHkkxh; ifjogu vf/kdkjh] dk;ky; ngjknu

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषताएं और कर्त्तव्य निम्न प्रकार हैं :–

lxBu dh LFkkiuk %& देहरादून सम्भाग का सम्भागीय परिवहन कार्यालय, 105 ए, राजपुर रोड, देहरादून में स्थापित है।

lxBu dk <kpk %& सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के अंतर्गत देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपद सम्मिलित है।

देहरादून सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, का कार्यालय भूपतवाला, हरिद्वार एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश का कार्यालय ढालवाला, ऋषिकेश क्षेत्र में सहायक सम्भागीय परिवहन, उत्तरकाशी का कार्यालय, बडेथी, उत्तरकाशी, एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी का कार्यालय बोराड़ी, नई टिहरी, में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :—

vf/kdkjh@ deZpkjh dk inuke	Lohd`r osreku@osru cS.M@xzsM osru	Lohd`r in				
		ngjknu	gfj}kj	_f"kds'k	fVgjh	mRrjdk'kh
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000—15,200 15600—39100 6600	01	—	—	—	—
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000—13,500 15600—39100 5400	02	02	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी—1	6,500—10,500 9300—34800 4200	01	01	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500—10,5000 9300—34800 4200	01	—	—	—	—
प्रशासनिक अधिकारी	5500—9000 9300—34800 4200	02	01	01	01	01
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5,000—8,000 9300—34800 4200	01	01	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी ग्रेड—2	5000—8,000 9300—34800 4200	02	02	01	01	01
लेखाकार	5,500—9,000	01	01	01	01	01

	9300–34800 4200					
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20,200 2800	01	–	–	–	–
आशुलिपिक	4,000–6,000 5200–20,200 2400	01	–	–	–	–
मुख्य सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,500–7,000 5200–20,200 2800	07	04	04	04	04
प्रवर सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000 5200–20,200 2400	10	06	06	04	04
कनिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	3,050–4,590 5200–20,200 1900	04	02	02	02	02
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200–20,200 1900	01	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200–20,200 1900	02	01	01	01	01
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200–20,200 1800	06	05	04	04	04
दफ्तरी	2,550–3,200 4440–7440 1300	01	–	–	–	–
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1300	10	03	03	03	03
;kx		54	30	27	25	25

ifjogu pd ikLV %& देहरादून सम्भाग के अंतर्गत अन्य राज्य की सीमा में निम्न स्थानों पर परिवहन चैक पोस्टें स्वीकृत है, जिनमें से वर्तमान में 05 स्थानों पर चेकपोस्टें संचालित हैं तथा शेष दो स्वीकृत चेकपोस्ट स्थापित की जानी है।

1. आशारोडी (देहरादून–सहारनपुर मार्ग)
2. कुल्हाल (देहरादून–पौंटा साहिब मार्ग)
3. भगवानपुर (रूड़की–सहारनपुर मार्ग)
4 नारसन (रूड़की–मुजफ्फरनगर मार्ग)

5. चिडियापुर (हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग)

6. तिमली (विकासनगर–सहारनपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

7. त्यूनी (त्यूनी–रोहडूं मार्ग) स्थापित की जानी है।

इन चैक पोस्टों को राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने हेतु प्रत्येक चैक पोस्ट के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी–2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार इन चैकपोस्टों हेतु कुल सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

vf/kdkjh@deipkjh dk inuke	Lohd`r inks dh l[;k	Lohd`r oruekku	oru cM@oruekku	xzM oru
1	2	3	4	5
परिवहन कर अधिकारी श्रेणी–2	21	5,000–8,000	9300–34800	4200
कनिष्ठ सहायक	21	3,050–4,590	5200–20200	1900
प्रवर्तन सिपाही	42	2,750–4,400	5200–20200	1800

lEHkkxh; ifjogu çkf/kdj.k] ngjknu dk xBu

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून का गठन किया गया है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में श्री विजेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री यू0 एस0 भण्डारी, 5, गांधी चौक, मसूरी, देहरादून एक गैर सरकारी सदस्य नामित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

lEHkkxh; ifjogu vf/kdkjh dk;ky;] ikMh

lxBu dh LFkkiuk %& चार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में से पौडी सम्भाग का कार्यालय, लोअर बाजार, पौडी में स्थापित है।

lxBu dk <kpk %& सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी सम्भाग के अंतर्गत पौडी गढवाल, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपद सम्मिलित है। वर्तमान में पौडी सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, का कार्यालय बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार ,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग का कार्यालय अपर बाजार, कर्णप्रयाग

एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग का कार्यालय जिला पंचायत भवन, गुलाबराय, रूद्रप्रयाग में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

vf/kdkjh@ deZpkjh dk inuke	Lohd`r osreku@osru cSaM@xzsM osru	Loh—r in			
		ikSM+h	dksV}kj	#nziz;kx	d.kZiz;kx
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000–15,200 15600–39100 6600	01	–	–	–
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000–13,500 15600–39100 5400	02	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी–1	6,500–10,500 9300–34800 4600	01	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500–10,5000 9300–34800 4600	01	–	–	–
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5,000–8,000 9300–34800 4200	01	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी–2	5,000–8,000 9300–34800 4200	02	01	01	01
प्रशासनिक अधिकारी	5,500–9,000 9300–34800 4200	02	01	01	01
लेखाकार	5,500–9,000 9300–34800 4200	01	01	01	01
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20,200 2800	01	–	–	–
आशुलिपिक	4,000–6,000 5200–20,200 2400	01	–	–	–
मुख्य सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,500–7,000 5200–20,200 2800	06	04	04	04

प्रवर सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000 5200–20,200 2400	08	04	04	04
कनिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	3,050–4,590 5200–20,200 1900	04	02	02	02
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200–20,200 1900	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200–20,200 1900	02	01	01	01
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200–20,200 1800	06	04	04	04
दफतरी	2,550–3,200 4440–7440 1300	01	–	–	–
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1300	06	03	03	03
;kx		47	25	25	25

ifjogu pSd iksLV %& पौड़ी सम्भाग के अंतर्गत उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर कोटद्वार –नजीमाबाद मार्ग पर कौडिया नामक स्थान पर चैकपोस्ट स्थापित है, इस चैकपोस्ट पर राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी–2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं।

vf/kdkjh@deZpkjh dk inuke	Lohd`r inksa dh la[;k	Lohd`r osrueku	osru cS.M@osrueku	xzsM osru
1	2	3	4	5
परिवहन कर अधिकारी श्रेणी–2	03	5,000–8,000	9300–34800	4200
कनिष्ठ सहायक	03	3,050–4,590	5200–20200	1900
प्रवर्तन सिपाही	06	2,750–4,400	5200–20200	1800

lEHkkxh; ifjogu çkf/kdj.k] ikSM+h dk xBu %& मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी का गठन किया गया है।

आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसमें राज्य सरकार द्वारा श्री जसपाल सिंह नेगी, विकास भवन के पास पौड़ी एवं श्री उमेश त्रिपाठी, स्टेशन रोड़, कोटद्वार, दो गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

lEHkkxh; ifjogu vf/kdkjh dk;ky;] gY}kuh

lxBu dh LFkkiuk %& चार सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से नैनीताल सम्भाग का कार्यालय कुसुम खेडा, हल्द्वानी में स्थापित है।

lxBu dk <kpk %& सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत जनपद सम्मिलित है। हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर, का कार्यालय रामपुर रोड, रूद्रपुर, एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चम्पावत का कार्यालय टनकपुर मे खटीमा रोड में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :—

vf/kdkjh@depkjh dk inuke	Lohd`r oreku@ oru cM@xM oru	Lohd`r in		
		gY}kuh	m/kef lguxj	Vudiij
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000—15,200	01	—	—
	15600—39100			
	6600			
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000—13,500	02	02	01
	15600—39100			
	5400			
परिवहन कर अधिकारी—1	6,500—10,500	01	01	01
	9300—34800			
	4200			
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500—10,500	01	—	—
	9300—34800			
	4200			
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5,000—8,000	01	01	01
	9300—34800			

	4200			
परिवहन कर अधिकारी–2	5,000–8,000	02	02	01
	9300–34800			
	4200			
प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	02	01	01
	9300–34800			
	4200			
लेखाकार	5,500–9,000	01	01	01
	9300–34,800			
	4200			
सहायक लेखाकार	4,500–7,000	01	–	–
	5200–20,200			
	2800			
आशुलिपिक	4,000–6,000	01	–	–
	5200–20,200			
	2400			
मुख्य सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,500–7,000	06	04	04
	5200–20,200			
	2800			
प्रवर सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	10	04	04
	5200–20,200			
	2400			
कनिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	3,050–4,590	04	02	02
	5200–20,200			
	1900			
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590	01	01	01
	5200–20,200			
	1900			
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590	02	01	01
	5200–20,200			
	1900			
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400	06	05	04
	5200–20,200			
	1800			
दफतरी	2,550–3,200	01	–	–
	4440–7440			
	1300			
अनुसेवक	2,550–3,200	07	03	03
	4440–7440			
	1300			
;kx		50	28	25

ifjogu pd ikLV %& हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य तथा नेपाल देश की सीमा के निम्न 11 स्थानों पर परिवहन चैक पोस्टें स्वीकृत है, जिनमें

से वर्तमान में 04 चेकपोस्टें संचालित हैं तथा शेष 07 स्वीकृत चेकपोस्ट स्थापित की जानी है।

1– रूदपुर (उधमसिंहनगर–रामपुर मार्ग)

2– काशीपुर (मुरादाबाद मार्ग)

3– पुलभट्टा (हल्द्वानी–बरेली मार्ग)

4– दोराहा (काशीपुर–रामपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

5– बाजपुर (बाजपुर–स्वार–रामपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

6– जसपुर (काशीपुर–अफजलगढ–धामपुर मार्ग)

7– मझौला (खटीमा–पीलीभीत मार्ग) स्थापित की जानी है।

8– नादेही (काशीपुर–धामपुर) स्थापित की जानी है।

9– सितारंगज (सितारगंज–पीलीभीत) स्थापित की जानी है।

10– मेलाघाट (खटीमा–मेलाघाट–पूरनपुरमार्ग) स्थापित की जानी है।

11– बनबसा (बनबसा–नेपाल बॉर्डर) स्थापित की जानी है।

इन चैक पोस्टों को राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने हेतु प्रत्येक चैक पोस्ट के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी–2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार इन चैकपोस्टों हेतु कुल सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

vf/kdkjh@deipkjh dk inuke	Lohdr ink dh l[;k	Lohdr orueku	oru cSM@orueku	xzM oru
1	2	3	4	5
परिवहन कर अधिकारी श्रेणी–2	33	5,000–8,000	9300–34800	4200
कनिष्ठ सहायक	33	3,050–4,590	5200–20200	1900
प्रवर्तन सिपाही	66	2,750–4,400	5200–20200	1800

lEHkkxh; ifjogu çkf/kdj.k] gY}kuh dk xBu

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी, हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी का गठन किया गया है। आयुक्त कुमायूँ मण्डल इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसमें राज्य सरकार द्वारा श्री हरविन्दर सिंह चडढा पुत्र श्री संथोक सिंह चडढा, 5/93, भोटिया पडाव, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

एक गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

lEHkkxh; ifjogu vf/kdkjh dk;ky;] vYekMk

lxBu dh LFkkiuk %& चार सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से अल्मोडा सम्भाग का कार्यालय लोधिया बाजार, अल्मोडा में स्थापित है।

lxBu dk <kpk %& सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा सम्भाग के अंतर्गत अल्मोडा, बागेश्वर, एवं पिथौरागढ़, जनपद सम्मिलित है। अल्मोडा सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़, का कार्यालय एंचोली पिथौरागढ़ में एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बागेश्वर का कार्यालय कांडा रोड, बागेश्वर में स्थापित है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोडा सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :—

vf/kdkjh@deipkjh dk inuke	Lohdr oreku@oru cM@xM oru	Lohdr in		
		vYekMk	ckx'oj	fiFkkjkx<
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000—15,200 15,600—39100 6600	01	—	—
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000—13,500 15,600—39100 5400	02	01	01
परिवहन कर अधिकारी—1	6,500—10,500 9300—34800 4200	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500—10,500 9300—34800 4200	01	—	—
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5,000—8,000 9300—34800 4200	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी—2	5,000—8,000 9300—34800 4200	02	01	01

प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000 9300–39800 4200	02	01	01
लेखाकार	5,000–8,000 9300–8000 4200	01	01	01
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20200 2800	01	–	–
आशुलिपिक	4,000–6,000 5200–20200 2400	01	–	–
मुख्य सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,500–7,000 5200–20200 2400	06	04	04
प्रवर सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000 5200:20200 2400	08	04	04
कनिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	3,050–4,590 5200:20200 1900	04	02	02
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200:20200 1900	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200:20200 1900	02	01	01
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200:20200 1800	06	04	04
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1300	06	03	03
;kx		46	25	25

lEHkkxh; ifjogu çkf/kdj.k] vYekMk dk xBu

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अल्मोडा , बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा का गठन किया गया है। आयुक्त कुॅमायू मण्डल इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसमें अपर परिवहन आयुक्त शासकीय व राज्य सरकार द्वारा नामित श्री श्याम नारायण पाण्डे, ग्रम नया संगरौला, पो0आ0 जयन्ती, जिला अल्मोडा, एक अशासकीय सदस्य हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी अल्मोड़ा इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

lEHkkxh;@mi lEHkkxh; ifjogu dk;kZy;ksa dk dk;Z %&

परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन के अंतर्गत स्थापित चारों सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों एवं उनके अधीन स्थापित उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों के मुख्य कार्य निम्नवत हैं :–

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन प्रदत्त कार्य ।

(2) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(3) उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन प्रदत्त कार्य।

(4) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(5) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(6) मोटर वाहनों से कर वसूली एवं अनुश्रवण।

(7) मोटर यान चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति देना, मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति देना, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण करना, परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देना।

(8) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य।

(9) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने हेतु मार्ग सर्वेक्षण करना, मार्ग निर्धारित करना ।

(10) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत विधिक व्यवस्थानुसार मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी के परमिट जारी करना, उनका नवीकरण करना, अस्थायी परमिट देना।

(11) माल यानों के राष्ट्रीय परमिट देना व उनका नवीकरण करना।

(12) मार्गों पर संचालित वाहनों की सघन चैकिंग करना, अवैध संचालन रोकना, वाहनों से करों की वसूली करना, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों

की चैकिंग कर प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नियमानुसार न चलने वाले, करापवंचन करने वाले मोटर यानों का चालान कर उन्हें बन्द करना।

(13) चालान से सम्बन्धित वादों, न्यायालय में दायर याचिकाओं की प्रभावी पैरवी करना।

(14) उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों पर नियंत्रण।

(15) सम्भाग का बजट सम्बन्धी कार्य करना।

(16) राजस्व वसूली, प्रवर्तन एवं राजस्व प्राप्ति के आकड़ों की समीक्षा एवं उनका प्रेषण।

(17) आडिट आपत्तियों का उत्तर प्रेषित करना।

(18) सम्भाग/उपसम्भाग के अधीन समस्त स्टाफ, फील्ड स्टाफ पर नियंत्रण बनाये रखना एवं उनके कार्य की समीक्षा करना।

(19) सम्भाग के अधीन कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी कार्य।

dk;Z dk lapkyu %&

कार्य विषय के आधार पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में निम्न शाखाओं में कार्य विभाजित है :–

1– सामान्य प्रशासन शाखा,
2– रजिस्ट्रीकरण, कर एवं अतिरिक्त कर शाखा,
3– अनुज्ञप्ति शाखा,
4– प्रवर्तन शाखा,
5– लेखा शाखा,
6– कैश शाखा,
7– परमिट शाखा,

प्रत्येक शाखा में यथा आवश्यक मुख्य सहायक, प्रवर सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं लेखा सम्बन्धी कार्य के लिये लेखाकार, सहायक लेखाकार, अन्य सहायक तैनात हैं। उप सम्भागीय कार्यालयों में भी तदानुसार कार्य संचालन किया जाता है।

jkT; ifjogu vihy vf/kfu;e dh le{k vihy %&

मोटरयान अधिनयम 1988 के अध्याय–5 परिवहन यानों का नियंत्रण के अधीन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा –

(क) परमिट देने से इन्कार करने या दिये गये परमिट पर लगायी गई किसी शर्त से; या

(ख) परमिट के प्रति संहरण या निलम्बन से या उसकी शर्तों में दिये गये किसी परिवर्तन से; या

(ग) धारा–82 के अधीन परमिट का अन्तरण करने से इन्कार करने से; या

(घ) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार या ऐसे प्रतिहस्तान्तरण पर लगायी गयी किसी शर्त से; या

(ड.) परमिट के नवीकरण से इन्कार करने से; या

(च) धारा 83 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने से या किसी अन्य विहित आदेश से– व्यथित कोई व्यक्ति राज्य परिवहन अपील के समक्ष अपील कर सकता है, उत्तरांचल राज्य में राज्य परिवहन अपील अधिकरण सी–1 लेन संख्या–1 शास्त्रीनगर, देहरादून में अवस्थित है।

dk;ky; le; ,o dk;l ç.kkyh %&

सम्भाग के अंतर्गत स्थापित सभी कार्यालयों में कार्य अवधि प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे निर्धारित है। कार्यालय में आने वाली आम जनता के कार्य को सुलभ एवं पारदर्शिता के साथ समय से सम्पादित करने हेतु कार्यालयों में आवश्यक औपचारिकताएं सम्बन्धी सूचनाएं मार्गदर्शन के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हैं। लाइसेंस पंजीयन, हस्तान्तण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट सम्बन्धी कार्यों की जानकारी हेतु कार्यालय स्तर पर पम्पलेट छपवाकर जनता को उपलब्ध कराये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति को आवश्यतानुसार समूल्य फार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु पटल निर्धारित हैं। यदि किसी कर्मी को कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं अथवा इस हेतु कार्यालय में लगी शिकायत एवं सुझाव पेटिका का उपयोग कर सकते हैं। सभी कार्यालयों में शिकायत एवं सुझाव पेटिका स्थापित है जो कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है।

lyXu vfHkys[k %&

1– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के पुनर्गठन शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 25 जून, 2001।

2– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन शासनादेश संख्या–113/परि0 545 (परि0)/2003, दिनांक 26 फरवरी, 2004।

3– राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन– अधिसूचना संख्या–171/3–7 स0परि0/कैम्प/2000–2001, दिनांक 12 जनवरी, 2001।

4– राज्य परिवहन प्राधिकरण के दो सदस्यों का नामांकन अधिसूचना संख्या–440/3–7/स0परि0/2002, दिनांक 6 सितम्बर, 2003।

5– श्री राजेन्द्र तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, हल्द्वानी को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नामांकन कार्यालय ज्ञाप संख्या–183 3–7/स0परि0/कैम्प/2000–2001, दिनांक 16 जनवरी, 2001।

6– श्री टी0पी0कुण्डलिया, अपर परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या–353/ix/246/2006, दिनांक 28 अप्रैल, 2006।

7– सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, पौडी एवं हल्द्वानी के गठन की अधिसूचना संख्या–507/3–7/स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल, 2001।

8– श्री अब्बल सिंह नेगी, नालापानी रोड, देहरादून को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या–439/3–7/स0परि0 2002, दिनांक 06 सितम्बर, 2002।

9– श्री ब्रजेश नवानी, दून विहार, राजपुर रोड, देहरादून को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून एवं श्री गजेन्द्र सिंह चौहान जसपुर, उधमसिंहनगर को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी का अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या–851/246–ix/2005, दिनांक 29 अगस्त, 2005।

10–श्री विजय शाह, आनंद कुटीर, तल्लीताल, नैनीताल को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी का अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या–11/अ0स0/परि0/2002, दिनांक 19 सितम्बर, 2002।

11—श्री शिव सिंह रावत, दीप सिनेमा, मानपुर, कोटद्वार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी का अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या—09/परि0/2003, दिनांक 4 जून, 2003।

12—सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोडा का गठन अधिसूचना संख्या— 621/ix/246/2005, दिनांक 31 मई, 2005।

13—श्री लखपत सिंह भण्डारी, पुत्र स्व0श्री गजपाल सिंह भण्डारी, जिला सदस्य जिला पंचायत पौडी (श्रीकोट) को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी का अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकन अधिसूचना संख्या—419/ix/246/2006 दिनांक 22 मई, 2006।

14—सहायक लेखाधिकारी के वेतनमान में संशोधन वित्त अनुभाग 03 का कार्यालय ज्ञाप संख्या—419/xxvii(3)/2005 दिनांक 13 सितम्बर, 2005।

15—लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखापरीक्षक, ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के वेतनमान में संशोधन शासनोदश संख्या—1335/ix/610/2006 दिनांक 7 मार्च, 2006।

16— श्री जतिन्दर पाल सिंह चढ्ढा, पुत्र श्री हरचरण सिंह चढ्ढा, सन्त निवास, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के सदस्य के रुप में नामांकन— अधिसूचना से 709/ix/246/2007 दिनांक 12—09—2007।

17— श्री विनोद शर्मा, अपर सचिव परिवहन एवं अपर परिवहन आयुक्त का सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के रुप में नियुक्ति अधिसूचना संख्या 33/ix/246/2008 दिनांक 29—02—2008।

18— श्री जसपाल सिंह नेगी, पुत्र श्री गौर सिंह नेगी, निकट विकास भवन, पौड़ी तथा श्री उमेश त्रिपाठी, पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, स्टेशन रोड़, कोटद्वार का संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी में नामाकन— अधिसूचना संख्या 782/ix/228/2007 दिनांक 11—12—2007।

19— श्री श्याम नारायण पाण्डे, पुत्र श्री यतीन्द्र प्रसाद पाण्डे, निवासी ग्राम नया सिंगरौली, पो0ओ0 जयन्ती, जिला अल्मोडा का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोडा में नामांकन— अधिसूचना संख्या 770/ix/246/2007 दिनांक 08—11—2007।

20– श्री आंनद प्रकाश नौटियाल, कौलागढ, टपकेश्वर रोड़, देहरादून का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, में एवं श्री राजेन्द्र सिंह बोरा, ग्रम चीनपुर, पो0 ओ0 हरिपुर नायक का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में नामांकन– अधिसूचना संख्या 708/ix/246/2007 दिनांक 12–09–2007।

21– सरदार सन्त सिंह को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति– शासनादेश संख्या 72/xxi/2008 दिनांक 23–01–2008।

22– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुर्नगठन– शासनादेश संख्या 213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008।

23– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे में आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पुर्नगठन– शासनादेश संख्या 358/ix/543/2008 दिनांक 01–12–2008।

24– दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन ढांचा।

25– परिवहन आयुक्त कार्यालय में सृजित अनुभागों का पुर्नगठन करते हुये उनके मध्य कार्यों का विवरण– कार्यालयादेश सं0–3313/सा0प्र0/203/2008 दिनांक 29–12–08।

26– श्री विजेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री यू एस भण्डारी, 05 गांधी चौक, मसूरी देहरादून का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून में नामांकन–अधिसूचना सं0–484/ix/246/2009 दिनांक 03–11–2009

27– श्री हरविन्दर सिंह चडढा पुत्र श्री संथोक सिंह चडढा, 05/93 भोटिया पडाव, नैनीताल का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी में नामांकन–अधिसूचना सं0–500/ix/246/2009 दिनांक 11–11–2009

28– विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7, का शासनादेश सं0–443/xxvii/(7)/2010 दिनांक 09.02.2010।

29– मिनिस्टीरियल संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न कार्मिक अनु–2 का शासनादेश सं0–183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010।

30– परिवहन आयुक्त कार्यालय में सृजित अनुभागों का पुनर्गठन एवं कार्मिकों के मध्य कार्य बटवारा कार्यालय संख्या–38/अधि0/6–2/2010 दिनांक 26.03.2010।

-xxxxx-

संख्या–690 / 59 / स0परि0 / कैम्प22001

पी.सी0शर्मा ,
सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल
देहरादून।

देहरादून दिनांक 25 जून 2001

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के पुर्नगठन का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संगठनात्मक ढ़ाचें जिसका विवरण निम्नवत् है, पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– परिवहन आयुक्त संगठन के कुल पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	संगठन के लिये कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4
1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	1
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18300	1
3	उप परिवहन आयुक्त	12000–16500	3
4	सहायक परिवहन आयुक्त	10000–15200	1
5	वित्त नियंत्रक /वरिष्ठ लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	1
6	संभागीय परिवहन अधिकारी	10000–15200	3
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	8000–13500	14
8	यात्री कर अधिकारी	6500–10500	3
9	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	1
10	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500	1
11	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5500–10500	3
12	सहायक संभागीय परिवहन निरीक्षक (प्राविधिक)	5000–8000	7
13	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	43
14	सहायक अभियोक्ता परिवहन	5500–9000	1
15	लेखाकार	5000–8000	4
16	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर / आशुलिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	5000–8000 4000–6000	11
17	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड –1	6500–10500	1
18	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड –2	5000–8000	2
19	मुख्य लिपिक	4500–7000	3
20	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4500–700	21
21	वरिष्ठ सहायक लिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	60
22	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	69
23	लेखा लिपिक	4000–6000	8
24	प्रर्वतन चालक	3050–4590	18

25	प्रर्वतन प्रवेक्षक	3050–4590	10
26	दफ्तरी	2610–3540	3
27	चपरासी/चौकीदार/ सफाईकार	2550–3200	54
28	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1
29	प्रर्वतन सिपाही	2750–4400	111
योग:–			**459**

2– उक्त के अर्न्तगत कुल 79 पद परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिये सम्मिलित किये गये है। जिनका विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है परिवहन आयुक्त कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिये 7 अनुभागों की स्थापना की स्वीकृति संलग्नक–3 में दी जा रही है।

3– संभाग /क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में पदों का विवरण संलग्नक–5 में दिया जा रहा हौ। संभाग/क्षेत्रीय कार्योलयों हेतु कुल सृजित पदों का आमेलन उक्त क्रमांक –1 में दिये गये विवरण में सम्मिलित कर लिया गया है।

4– परिवहन आयुक्त विभाग के कर सग्रंह केन्द्रों का पुर्नगठन कर कुल 12 कर सग्रंह केन्द्रो के सम्बन्ध में विवरण संलग्नक–4 में दिया जा रहा है। इन केन्द्रो के लिये आवश्यक स्टाफ का आमेलन क्रमांक–1 पर दिये गये विवरण के अर्न्तगत सम्मिलित कर लिया गया है।

5– प्रस्तावगत पद आवश्यकतानुसार ही भरे जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रर्वतन सिपाहियों की व्यवस्था व्यापार कर तथा परिवहन विभाग की चौकियों के लिये संयुक्त रूप से किये जाने पर विचार कर लिया जाये तथा चौकियों के संचालन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रर्यवेक्षण हेतु यथोशक्ति अन्तर विभागीय समन्वय की व्यवस्था भी की जाये।

6– पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

7– पदों की भर्ती/पदोन्नति आदि में नये दिशा–निर्देशों तक पूर्व प्रचलित विभागीय नियमावली आदि ही प्रभावी रहेगी।
8– परिवहन आयुक्त कार्यालय का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार! भवदीय

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन।
3– पुर्नगठन आयुक्त , उत्तरांचल , लखनऊ।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल कुमाऊ/गढ़वाल।
5– अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, कैम्प –देहरादून।
6– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
7– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8– पर्यटन परिवहन शाखा।
9– गार्ड फाइल। आज्ञा से

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

संलग्नक –2
परिवहन आयुक्त उत्तरांचल के कार्यालय के लिये प्रस्तावित पदों का विवरणः–

Ø0 l0	inuke	osrueku	mi ifjogu vk;Dr dk;ky; ,o vij ifjogu vk;Dr dk;ky; d io l Lohd'r ink dk lek;ktu dju d ckn miyC/k in	ifjogu vk;Dr dk;ky; d Lohdfr gr iLrkfor in	dy in	Hkrh dk L=kr
1	2	3	4	5	6	7
1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	–	1	1	शासन स्तर पर
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18,300	1	–	1	विभागीय पदोन्नति
3	उप0 परि0 आयु0	12,000–16,500	1	2	3	तदैव
4	सहा0परि0आयु0	10,000–15,200	–	1	1	तदैव
5	स0स0प0अ0 प्राविधिक	8000–13500	–	1	1	तदैव
6	रा0स0प0मुख्यालय	8000–13500	–	1	1	पदोन्नति/सीधी भर्ती से
7	वित्त नि0/वरि0 लेखा अधिकारी	संवर्गानुसार	–	1	1	वित्त सेवा
8	स0 लेखाधिकारी	6500–10500	1	–	1	वित्त सेवा
9	सहा0अभि0 परिवहन	5500–9000	2	–	1	सीधी भर्ती से
10	का0अधी0ग्रेड–1	6500–10500	–	1	1	विभागीय पदोन्नति से
11	का0अधी0ग्रेड–2	5000–8000	**1	–	1	तदैव
12	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	1	1	2	तदैव
13	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	1	5	6	सीधी भर्ती से
14	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	1	5	6	पदोन्नति से
15	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	3	3	6	पदोन्नति से
16	कनिष्ट लिपिक कम डेटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	5	7	12	यथा सम्भव छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती से
17	लेखाकार प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से	5000–8000	1	–	1	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से
18	लेखा/लिपिक	4000–6000	–	1	1	तदैव

	चालक / प्र0चालक	3050–4590	1	8	9	यथा सम्भव छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में
19	प्रवर्तन पर्यवेक्षक प्रवर्तन सिपाही	3050–4590 2750–4400	– –	1 9	1 9	पदोन्नति सीधी भर्ती से सीधी भर्ती पदोन्नति से
20	चपरासी–चौकीदार–सफाईकार	2550–3200	4	8	12	छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में
21	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1	–	1	प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती से
; kx			24	55	79	

** पूर्व में दो पद स्वीकृत थे किन्तु एक पद को अपग्रेड करके नया कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1 कर दिया है।

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन उत्तरांचल

संलग्नक–3
परिवहन आयुक्त उत्तरांचल कार्यालय के लिये प्रस्तावित अनुभागों एवं उनके लिये प्रस्तावित पदों का विवरण

	vuHkkx	dk;ky; v/kh{kd xM&1	dk;ky; v/kh{kd xM&2	ofj'B lgk;d	ofj'B fyfid	dfu'V fyfid	y[kkdkj	y[kk fyfid	lEi{kd	lgk;d vfHk;kDrk ifjogu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	एसटीए	–	–	1	1	2	–	–	–	–
2	अधिष्ठान / सर्तकता सामान्य प्रशासन	1	1	1	2	3	–	–	–	–
3	कर / रूल्स	–	–	1	1	2	–	–	–	–
4	प्रवर्तन	–	–	1	1	2	–	–	–	–
5	संख्या एवं सेन्ट्रल पूल	–	–	1	1	2	–	–	–	–
6	लेखा	–	–	–	–	–	1	1	1	–
7	विधि एव न्यायाधिकरण	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	; kx	1	1	6	6	12	1	1	1	1

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या के अनुरूप तथा मुख्यालय पर प्रर्वतन दल की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित पद भी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैः–

1– आशुलिपिक वेतनमान 5,000–8,000	2 पद
2– आशुलिपिक वेतनमान 4,000–6,000	6 पद
3– चालक/प्रर्वतन चालक	9 पद
4– प्रर्वतन, प्रर्यवेक्षक	1 पद
5– प्रर्वतन सिपाही	9 पद
6– चपरासी/चौकीदार/सफाईकार	12 पद

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन
उत्तरांचल शासन

संलग्नक–4

कर सग्रंह केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव।

(प्रत्येक कर सग्रंह केन्द्र पर 4 यात्रीकर अधीक्षक, 4 अधीक्षक, 4 कनिष्ट लिपिक, 6 प्रर्वतन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक निर्धारित था, जबकि उत्तरांचल में प्रत्येक कर सग्रंह केन्द्र पर 3 यात्री कर अधीक्षक, 3 कनिष्ट लिपिक, 6 प्रर्वतन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक रखा गया है।)

क्र0स0	कर सग्रंह केन्द्रों का नाम	पूर्व स्वीकृत पद	प्रस्तावित पद	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	कुल्हालडी0डभ0एस0			
2.	मंगलौर एच.पी0एस0			
3.	आशारोड़ी डी.डिवी0			
4.	रूद्रपुर यू.एस.एच. हल्द्वानी–दिल्ली			
5.	बाजपुर यू.एस.एन.			
6.	ठाकुरद्वारा यू.एस.एन. रामनगर–काशीपुर–मुरादाबाद			
7.	चिड़ियापुर एच.डी.आर. रामनगर–काशीपुर–हरिद्वार			
8.	इकबालपुर एच.डी.आर.			
9	तिमली डी.डी.एन.			
10	पुलभट्टा			

11. मंझोला
12. सितारगंज

<u>प्रस्तावित पद</u>

1– यात्रीकर अधीक्षक	–	36	36
2– कनिष्ट लिपिक	–	36	36
3– सिपाही	–	72	72
4– चपरासी/सफाई कार		–	12

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन
उत्तरांचल शासन

lyXud& 5
lHkkxh; dk;ky;k dh fy;s iLrkfor inks dk fooj.k&

d0 l0	inuke	io l Lohdr in	iuxBu d vUrxr iLrkfor in	lxBuk e dy in
1	2	3	4	5
1	संभागीय परिवहन अधिकारी	3	–	3
2	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	12	–	12
3	यात्रीकर अधिकारी	3	–	3
4	प्रशासनिक अधिकारी	–	1	1
5	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	3	–	3
6	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6	1	7
7	यात्रीकर अधीक्षक	10	33	43
8	लेखाकार	1	2	3
9	आशुलिपिक	3	–	3
10	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–11	–	1	1
11	मुख्य लिपिक	3	–	3
12	वरिष्ट सहायक	15	–	15
13	वरिष्ठ लिपिक	54	–	54
14	कनिष्ठ लिपिक	57	–	57
15	लेखा लिपिक	7	–	7
16	चपरासी/ चौकीदार / सफाईवार	42	–	42
17	दफ्तरी	3	–	3
18	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	8	1	9
19	प्रर्वतन चालक	6	3	9
20	प्रवर्तन सिपाही	25	77	102
	योग	261	119	380

उपरोक्त विवरण में कर सग्रंह केन्द्र एवं प्रवर्तन दलों का विवरण भी सम्मिलित है।

पी0सी0 शर्मा

सचिव परिवहन
उत्तरांचल शासन

संख्या–113/परि0/545 (परि0)/2000

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तरांचल देहरादून।

देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2004

परिवहन अनुभाग,

<u>विषयः– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनॉक 25 जून 2001, जिसके द्वारा पारित विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढ़ॉचे का पुनर्गठन किया गया था, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप परिवहन विभाग के कार्यो में बढ़ात्तरी होने से दूरस्थ जनपदों में वाहनों की चैंकिग न होने के फलस्वरूप अनाधिकृत संचालन होने और परिवहन विभाग के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तरांचल के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25, जून 2001 में संशोधन करते हुए, परिवहन विभाग के संगठनात्मक ढ़ॉचे का निम्नवत् पुर्नगठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– परिवहन आयुक्त कार्यालयः–

2– परिवहन आयुक्त कार्यालय में बढ़े हुए कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः आडिट अनुभाग, एम.आई.एस. अनुभाग प्राविधिक अनुभाग के नामों से 03 नये अनुभागों का सृजन करते हुए पूर्व में स्वीकृत पदों, जिनका उल्लेख तालिका के प्रस्तर–4 किया गया है, के अतिरिक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत करने की तिथि से 29–02–2004 तक बशर्ते उसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पदों का विवरण–

14	inuke	osrueku	ioZ e Lohd`r vfrfjDr in	orZeku e Lohd`r vfrfjDr in	dy Lohd`r ink dh l[;k	vH;fDr
1	2	3	4	5	6	7
1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	01	–	01	
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18,300	01	–	01	
3	उप0 परि0 आयु0	12,000–16,500	03	–	03	
4	सहा0परि0आयु0 (प्रशासन)	10,000–15,200	01	–	01	
5	वित्त नि0/वरि0 लेखा अधिकारी	संवर्गानुसार	01	–	01	
6	रा0स0प0 अधिकारी	8000–13500	02	–	02	
7	स0 लेखाधिकारी	6500–10500	01	–	01	
8	का0अधी0ग्रेड–1	5500–9000	01	–	01	
9	सहा0अभि0 परिवहन	5500–9000	01	–	01	
10	संख्या सहायक	5000–8000	–	01	01	
11	का0अधी0ग्रेड–2	5000–8000	01	01	02	
12	सम्परीक्षक/ज्येष्ठलेखा परीक्षक	5000–8000	01	–	01	
13	लेखा परीक्षक	4000–600	–	02	02	
14	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	–	01	01	
15	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	02	–	02	
16	आशुलिपिक कम व0 डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	05	
17	संकलनकर्ता	4000–6000	–	01	01	
18	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	06	–	06	
19	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	07	
20	कनिष्ठ लिपिक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4500	12	02	14	
21	लेखाकार	5000–8000	01	–	01	
22	सहायक लेखाकार	4000–6000	–	01	01	
23	लेखा लिपिक	3050–4590	01	–	01	
24	चालक/प्रवर्तन	3050–4590	09	–	09	
25	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050–4590	01	–	01	
26	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	09	–	09	
27	चपरासी/चौकीदार/सफाईकार	2550–3200	12	–	12	
	;kx		79	09	88	

3– आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर के पूर्व में स्वीकृत 6 पदों मे से एक पद अपग्रेड कर उसके स्थान पर वैयक्तिक सहायक का पद स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में वाहनों की संख्या में हुई वृद्वि को देखेते हुए परिवहन सम्बन्धी कार्यो के सुचारू सम्पादन तथा जनता को निकटस्थ स्थानों पर वाहनों के पंजीयन एवं कर आदि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से अल्मोड़ा में एक नये सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की स्थापना करते हुए पूर्व

से स्वीकृत संभागीय परिवहन कार्यालयों क्रमशः देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में पूर्व में सृजित पदों का पुनर्निर्धारण करते हुए सभी चार कार्यालयों हेतु तालिका प्रस्तर–13 मे उल्लिखित अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

lHkkxh; dk;kZy;ks e ioa Lohd`r ,o dqy iLrkfor inks dk fooj.k

&

d0 l0	inuke	ngjknwu		gY}kuh		ikSMh		vYeksMk		;ksx		dqy in
		पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	03	04	0 1
2	सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी	0 2	0 2	02	02	02	0 2	–	02	06	08	02
3	यात्रीकर अधिकारी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	03	04	0 1
4	सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 3	0 4	0 1
5	सहायक सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 3	0 4	0 1
6	यात्रीकर अधीक्षक	0 1	0 2	0 1	0 2	0 1	0 2	–	0 2	0 3	0 8	0 5
7	प्रशासनिक अधिकारी	0 1	–	–	–	–	–	–	–	0 1	–	0 1
8	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	–	0 1	0 1	0 1	–	0 1	–	0 1	0 1	0 4	0 3
9	मुख्य लिपिक	–	–	–	–	0 1	–	–	–	0 1	–	0 1
10	लेखाकार	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 3	04	0 1
11	लेखा लिपिक	0 2	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 4	0 4	–
12	आशुलिपिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 3	0 4	0 1
13	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	0 5	0 5	0 4	0 5	0 3	0 3	–	0 3	12	16	04
14	वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	16	12	15	0 6	0 8	06	–	0 6	39	30	09
15	कनिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	12	16	12	11	05	11	–	11	29	49	20
16	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	0 2	0 1	0 2	0 1	0 1	0 1	–	0 1	0 5	0 4	0 1
17	प्रवर्तन चालक	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	–	0 2	0 6	08	0 2
18	प्रवर्तन सिपाही	0 5	0 6	0 5	0 6	0 5	0 6	–	0 6	15	24	0 9
19	दफ्तरी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	–	–	0 3	0 3	–
20	चपरासी	10	10	0 9	0 7	0 6	0 6	–	06	25	29	04
	;ksx	65	65	61	51	42	48	&	47	168	211	55

नोटः– 1. प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य लिपिक का पूर्व में सृजित एक–एक पद अर्थात कुल 02 पदों को एतदद्वारा समाप्त किया जाता है।

2. वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर के पूर्व में सृजित कुल 39 पदों मे से उपरोक्त तालिका में दिये गये विवरणानुसार 09 पदों की तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

3. प्रर्वतन प्रर्यवेक्षक के पूर्व में स्वीकृत 05 पदों में से उपरोक्त विवरणानुसार एक पद समाप्त किया जाता है।

4. दफ्तरी के तीन पदों को मृत संदर्भ घोषित किया जाता है।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर–4 में उल्लिखित सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय बागेश्वर, टनकपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं कोटद्वारा में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना करने तथा पूर्व में स्वीकृत उपसम्भागीय कार्यालय क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, उद्यमसिंहनगर एवं पिथौरागढ में पूर्व में सृजित पदों का पुर्ननिर्धारण निम्नवत् करते हुये नये स्वीकृत 07 कार्यालयों को सम्मिलित करते हुये निम्नवत् तालिका के प्रस्तर–15 के अनुसार अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 29.02.2004 तक, बशर्ते कि इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैः–

उपसंभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण–

d0 l0	inuke	gfj}kj		_f'kds k		m/kef lguxj		fiFkkjkx<		u;s iLrkfor vU; 07 mi lEHkkxh; grq		;kx dy in		
		io Lohdr	dy iLrkfor	io Lohdr	dy iLrkfor	io Lohdr	dy iLrkfor	io Lohdr	dy iLrkfor	io Lohdr	dy iLrkfor	io Lohdr	dy iLrkfor	orZeku esa Lohdr vfrfjDr in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	02	02	02	01	01	02	01	01	–	07	06	13	07
2	यात्रीकर अधिकारी	–	01	–	01	–	01	–	01	–	07	–	11	11
3	सहा0सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07
4	यात्रीकर अधीक्षक	01	02	01	01	01	02	01	01	–	07	04	13	09
5	मुख्य लिपिक	01	01	01	01	–	01	–	01	–	07	02	11	09
6	लेखा लिपिक	01	01	01	01	01	01	–	01	–	07	03	11	08
7	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	02	01	02	01	02	–	02	–	14	03	22	19
8	वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	04	05	03	04	04	01	03	–	21	15	35	20
9	कनिष्ठ लिपिक कम व. डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	06	05	05	04	06	02	05	–	35	16	57	41
10	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07
11	प्रवर्तन चालक		01	01	01	01	01	01	01	–	07	03	11	08
12	प्रवर्तन सिपाही	04	05	04	04	04	05	03	04	–	28	15	46	31
13	चपरासी	06	03	06	03	03	03	02	03	–	21	17	33	16
	;kx	28	30	29	25	22	30	13	25	&	175	92	285	193

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में स्थापित 12 चेकपोस्टो के अतिरिक्त कोडियाला (कोटद्वार–साहिबाबाद मार्ग), नदेही (धामपुर–काष्शीपुर मार्ग), जसपुर (धामपुर–अुजलगढ़द्य– काशीपुर मार्ग) , दौराहा (काशीपुर–रामपुर मार्ग), धोबीघाट (खटीमा–गेलाघाट–पुरनपुर मार्ग), बनवसा (बनबसा– नेपाल मार्ग), त्यूनी(हिमाचल प्रदेश की सीमा पर) अर्थात कुल 7 स्थानो पर अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु निम्नलिखित पदो को उनके

सम्मुख उल्लिखित वेतनमानों में आदेश निर्गत करने तिथि से 29.02.2004 तक बशर्ते कि इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

Ø0 l0	inuke	orueku ¼:0 e½	io e Lohdr vfrfjDr in	orekU e Lohdr vfrfjDr in	dy Lohdr ink dh l[;k	vH;fDr
1	यात्रीकर अधिकारी	6500–10500	–	04	04	
2	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	36	21	57	
3	कनिष्ठ लिपिक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	12	45	57	
4	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	72	42	114	
	योग		120	112	232	

उपरोक्त पदो के पदाारको को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मॅहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य होगे, देय होगें।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्वि के रूप में माने जायेगे। तकनीकी पदों के अतिरिक्त सूह ग व घ के यथासम्भव सरप्लस मूल/छटंनीशुदा कार्मिकों से समायोजन द्वारा भरे जायेगे और इसके द्वारा दो को भरा जाना सम्भव न होने पर ही सीधी भर्ती से पदों को भरा जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्त वर्ष, 2003–2004 के आय–व्यय मे अनुभाग संख्या 24 के लेखालिपिक –3055–सड़क परिवहन–00–आयोजनेत्तर–001 निदेशन तथा प्रशासन –00 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान–00 के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्वशासकीय संख्या–2928/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 25 फरवरी 2004 में स उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव

l[;k– परि0/545(परि0) /2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊॅ मण्डल नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4. अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून ।
5 वित्त संसाधन अनुभाग–3
6. नियोजन प्रकोष्ठ अनुभाग।
7. एमआई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
8. वर्ड बुक।

आज्ञा से

गोविन्द वल्लभ ओली,
उपसचिव

कार्यालय परिवहन आयुक्त , उत्तरांचल
228 मोहित नगर, देहरादून।

संख्या 2207 / स्थापना / एक–1 / 2004 दिनांक 03–03–2004

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरांचल शासन ।

विषयः– <u>परिवहन विभाग के ढ़ाचे के पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पदों की स्वीकृति बनाये जाने के सम्बन्ध मे।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 113 / परि0 / 545(परि0) / 2003 दिनांक 26–02–2004 के अर्न्तगत परिवहन विभाग, उततरांचल के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन करते हुये अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्वीकृति दिनांक 29.02.2004 तक के लिये ही प्रदान की गयी है। जिनकी निरन्तरता बनाये रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त नवसृजित पदों की स्वीकृति / निरन्तरता आगामी अवधि के लिये बढ़ाने का कष्ट कर, ताकि नये ढ़ाचे के अनुसार कार्यालयों के सृजन आदि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून

संख्या–171/3...1/स0परि0/कैम्प/200–2001

दिनांक देहरादून 12 जनवरी 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998, के नियम–55 के उपनियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या –10 सन् 1897) की धारा –21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धार–68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–1491–टी/30–4–135289 दिनांक 15 मई 1997 का अतिक्रमण करके राज्यपाल उक्त धारा–68 की उपधारा (3) में विर्निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उत्तरांचल राज्य के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण का निम्न प्रकार गठन करते हैः–

राज्य परिवहन प्राधिकरण

परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल	अध्यक्ष
राज्य सरकार के न्याय विभाग में सचिव द्वारा निर्दिष्ट	
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी राज्य सरकार	सदस्य

आज्ञा से

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून

संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002
दिनांक देहरादून 6 सितम्बर 2002

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–55 के उपनियम (8) व उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 86 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं शासकीय अधिसूचना संख्याः–171/3–7/स0परि0/कैम्प/2000–2000 दिनांक 12 जनवरी 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल राज्य परिवहन प्राधिकरण में निम्न सदस्यों के तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
2. श्री कुशलानन्द जोशी, 60 विजय कालोनी, देहरादून।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अग्रेंजी अनुवाद सहित सयुंक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2. विधि सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायॅ/गढ़वाल।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
7. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तरांचल।
9. श्री कुशलानन्द जोशी, 60 विजय कालोनी, देहरादून।
10. परिवहन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून

संख्या–183/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001
दिनांक देहरादून 16 जनवरी 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य के लिये वाहनों के परमिट सम्बन्धी कार्यो के निस्तारण हेतु शासन द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–55 के उपनियम–7 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, हल्द्वानी, उत्तरांचल को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य निष्पादित करने हेतु एतत्द्वारा नामित किया जाता है।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव

संख्या–183/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तरांचल शासन।
3. श्री राजेन्द्र तिवारी, उपपरिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
6. पर्यटन–परिवहन अनुभाग।
7. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री को माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या–353/IX/246/–2006
दिनांक देहरादून 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या–183/3–7/परि0/कैम्प/2000–2001 दिनांक 16 जनवरी 2001, को अधिक्रमित करके उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली , 1998 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त के नियम 55 के उपनियम (7) के अधीन श्री टी0पी0 कुण्डलिया, अपर परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव, के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–353(i)/ix/246/–2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तरांचल शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
3. श्री टी0पी0 कुण्डलिया, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री को माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

वी0 राम
अनु सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून
संख्या–507/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001
दिनांक देहरादून 18 अप्रैल, 2001
अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान, (अनूपूरक) नियमावली, 1989 के नियम–8 के खण्ड (ग) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59, सन् 1989) की धारा–68 की उपधारा–(1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना सरकारी अधिसूचना संख्या–716/30–4–135/80, दिनॉक 27 मार्च 1998 का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सदस्य है, अपने–अपने संभागो और क्षेत्रों में जो प्रत्येक के सामने क्रमशः स्तम्भ–4 और 5 में उल्लिखित है, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये तात्कालिक प्रभाव से गठन करते हैः–

अनुसूची

d:0 l0	lEHkkxh; ifjogu ikf/kdj.k dk uke	lEHkkxh; ifjogu ikf/kdj.k dh lnL;	lEHkkx dk uke	{k=Qy
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तरांचल सदस्य 3. शासन द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	देहरादून	उत्तरकाशी टिहरी देहरादून जिले
2	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तरांचल सदस्य 3. शासन द्वारा नामित	पौडी	पौडी चमोली रूद्रप्रयाग हरिद्वार जिले
3	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण काठगोदाम	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तरांचल सदस्य 3. शासन द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	कुमायू सम्भाग	नैनीताल अल्मोडा पिथोरागढ चम्पावत उधमसिंहनगर बागेश्वर जिले

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

संख्या–507 /3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तरांचल को प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, उत्तरांचल, सचिवालय को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

संख्या– /3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमायूँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
5. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री जी उत्तरांचल।
7. विधि सचिव, उत्तरांचल।
8.. पर्यटन परिवहन अनुभाग।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या– 439/3...7/स0परि0/–20002
दिनांक देहरादून 6 सितम्बर 2002

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धारा 68 की की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 56 (8) व उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधि0 सं0 29/2000 की धारा 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं सरकारी अधिसूचना संख्या– 712/3–7/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 09 जुलाई 2001 को संशोधित करते हुये श्री राज्यपाल श्री सहदेव पुण्डीर, ग्राम सुद्धोवाला, चकराता रोड़, देहरादून के स्थान पर श्री अब्बल सिंह नेगी नालापानी रोड़, देहरादून को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव परिवहन

संख्या–439/3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तरांचल को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, को` अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

संख्या– 439/3...7/स0परि0/2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी , उत्तराचल।
2. विधि सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।जिलाधिकारी देहरादून/टिहरी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
7. विधि सचिव, उत्तरांचल।निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तरांचल।
8. परिवहन अनुभाग , उत्तरांचल शासन।
9. श्री सहदेव पुण्डीर, ग्राम–सुद्धोवाला, चकराता रोड़, देहरादून।
10. श्री अब्बल सिंह नेगी, नालापानी रोड़, देहरादून।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 851/246 IX/2005
देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2005

अधिसूचना/संशोधन

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरकर नियमावली 1989 के नियम 56 के उपनियम (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उप परिवहन आयुक्त का पद रिक्त होन के फलस्वरूप, अधिसूचना संख्या–507/3–7/स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल 2001 में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री ब्रजेश नवानी, दून विहार, राजा रोड़, देहरादून, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, काठगोदाम (कुमायूँ संभाग) में श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह जयपुर, उद्यमसिंहनगर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–851/246–IX 2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजेकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना सरकारी गजट के माह अगस्त 2005 के अंक में प्रकाशित कर इसकी 250–250 प्रतियां परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, परिवहन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
संयुक्त सचिव

संख्या–851/246–IX 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल!
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, को अपन मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तरांचल।
5. अपर परिवहन आयुक्त, देहरादून।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 11/अ.स./परि0/2002
देहरादून दिनांक 19 सितम्बर 2002

अधिसूचना

उत्तरांचल में संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–507/3–7/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 18 अप्रैल 2001, अधिसूचना संख्या 11/3–7/स0परि02कैम्प/2001 दिनांक 18 अप्रैल 2001 दिनांक 9 जुलाई 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल मोटर वाहन अधिनियम–1988 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या 319/परि0/2002 दिनांक 14 अगस्त 2002 का अतिक्रमण करते हुये श्री एच0बी0 तिवारी, कालाढूगी चौराहा, हल्द्वानी जिला नैनीताल के स्थान पर श्री विजय शाह निवासी आनन्द कुटीर तल्लीताल, नैनीताल को संभागीय परिवहन प्राधिकरण काठगोदाम (कुमायूँ संभाग) के लिये एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव

संख्या–11/अ.स.स0परि0/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, उत्तरांचल को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

संख्या–11/अ.स.स0परि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/ कुमाऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

सरकारी गजट उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून बुधवार 04 जून 2003 ई0

जयेष्ठ 14, 1825 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 09/परि0/2003

देहरादून 4 जून 2003

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उपनियम (8) व उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 86 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं शासकीय अधिसूचना सं0–751/सचि0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 24 जुलाई 2001 को संशोधित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय श्री महावीर सिंह के स्थान पर श्री शिव सिंह रावत, द्वीप सिनेमा, मानपुर, कोटद्वार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी के लिये एक गैर सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

एन0 एस0 नपलच्याल
सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 621/IX/परि0/2005
देहरादून दिनांक 31 मई, 2005
अधिसूचना

राज्य साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरक) नियमावली, 1989 के नियम 8 के खण्ड (ग) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और परिवहन विभाग अधिसूचना संख्या 507/3–7/ स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल 2001 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये नीचे अनुसूची के स्तम्भ –2 में उल्लिखित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का जिसके सामने स्तम्भ–3 में उल्लिखित सदस्य है, अपने संभाग और क्षेत्र में जो क्रमशः स्तम्भ –4 और 5 में उल्लिखित है, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये तात्कालिक प्रभाव से गठन करते हैः–

अनुसूची

d:0 l0	lEHkkxh; ifjogu ikf/kdj.k dk uke	lEHkkxh; ifjogu ikf/kdj.k d: lnL;	lEHkkx dk uke	{k=Qy
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल सदस्य 3. श्री ललित असवाल पुत्र श्री प्रताप सिंह ग्राम एवं पो0 गनियां घोली रानीखेत गैर सरकारी सदस्य	अल्मोडा सम्भाग	अल्मोडा बागेश्वर एवं पिथौरागढ जिलें।

आज्ञा से

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 621/IX/246/परि0/2005 तद्दिनांक।

अधिसूचना की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तरांचल को प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय

जी0 बी0 ओली
उपसचिव

संख्या – 621/IX/246/परि0/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त , उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त,गढ़वाल एवं कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री, उत्तरांचल।
7. विधि सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. पर्यटन/परिवहन अनुभाग।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
उपसचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 419/IX/246/2006
देहरादून दिनांक 22 मई, 2006
अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा –68 की उपधारा (1) और (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तरांचल में यथाप्रवृत) के नियम 56 के उपनियम 8 (दो) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या– 851/246/IX/2005, दिनांक 29 अगस्त 2005 के क्रम में श्री लखपत सिंह भण्डारी पुत्र स्व0 गजपाल सिंह भण्डारी, सदस्य जिला पंचायत, पौड़ी (श्रीकोट) उत्तरांचल राज्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–419(i)/IX/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के माह मई 2006 में प्रकाशित कर उसकी 250–250 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त उत्तरांचल एवं परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव,

संख्या–419(iii)/IX/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

4. परिवहन आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
5. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तरांचल।
7. सम्बन्धित महानुभाव।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–03
संख्या– 419/XXVII/(3)/2005
देहरादून दिनांक 13 सितम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति (1997–1999) द्वारा 14 वें प्रतिवेदन तथा 16 वें प्रतिवेदन खण्ड 1 व 2 के माध्यम से सम्बन्धित संवर्गों/विभागों के विषय में की गयी संस्तुतियों के क्रम में, केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयो के आधार पर, कि जिन पदों पर केन्द्र के पद से पद की समकक्षता दिनांक 18 जनवरी 1986, से स्थापित की गयी थी, केनद्र सरकार मं ऐसे पदों के वेतनमानों में संशोधन किये जाने पर राज्य सरकार भी तद्नुसार विचार करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा लेखाकारों संवर्ग के वेतनमानों को संशोधित कर दिया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में जिन विभागो अथवा संगठनों में नियमित लेखा/लेखा परीक्षा सवंर्ग गठित है। दिनांक 01 अप्रैल 2001 से पुनरीक्षित/उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान करते है।

d0 l0	orZeku inuke	01-01-1996 ls ykxw lkekU; iqujhf{kr orZeku	01-04-2001 ls lakf/kr inuke	01-04-2001 ls lakf/kr orZeku
1	सहायक लेखाकार	रू0 4000–100–6000	सहायक लेखाकार	रू0 4500–125–7000
2	लेखाकार	रू0 5000–150–8000	लेखाकार	रू0 5500–175–9000
3	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू0 6500–200–10500	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू07450–225–11500
4	लेखा परीक्षक	रू0 4000–100–6000	लेखा परीक्षक	रू0 4500–125–7000
5	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5000–150–8000	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5500–175–9000
6	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	रू0 5500–175–9000	सहायक लेखाधिकारी परीक्षा अधिकारी	रू06500–200–10500
7	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 (वरिष्ठ वेतनमान)	रू0 6500–200–10,500	सहायक लेखाधिकारी परीक्षा अधिकारी	रू07450–225–11500
8	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू0 6500–200–10500	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू07500–250–12000

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि जिन प्रकरणों में दिनांक 01.01.1996 से लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग को संशोधित वेतनमान प्रदान किये गये है, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के समबन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही 01.04.2001 से उक्त संवर्गों हेतु संशोधित वेतनमान लागू किया जाय।

राधा रतूडी
सचिव, वित्त।

संख्या– 419(1)/xxvii(3)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ तकनीकी, निदेशक,, एनआईसी, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव वित्त।

संख्या–1335/IX/610/2006

प्रेषक,

श्रीमान राजीव चन्द्र जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।

परिवहन अनुभाग देहरादून दिनांक 07 मार्च 2006

विषयः– वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के क्रम में लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के वेतनमानों में 01.04.2001 से संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति 1997 –99 की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या– 419/XXVII (3)/2005 दिनांक 13.09.2005 के अनुक्रम में राज्य के परिवहन विभाग के लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के निम्न पदों हेतु दिनांक 01.01.1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानो को दिनांक 01 अप्रैल 2001 से निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0स0	पदनाम	01.01.96 से लागू सामान्य पुनरीक्षित पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	01.04.2001 से लागू सेशोधित वेतनमान (रूपये में)
1.	लेखाकार	5000–150–8000	5500–175–9000
2.	सहायक लेखाकार	4000–100–6000	4500–125–7000
3.	लेखा परीक्षक	4000–100–6000	4500–125–7000
4.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5000–150–8000	5500–175–9000

उपरोक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानो में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम सग्रंह खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उसके साथ पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्दर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य करते हुये उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों से कर लिया जायेगा। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात वह दिनांक 01 अप्रैल 2001 अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। उक्त अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारियों द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से विकल्प दिया गया है। विकल्प देने की अंतिम तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथ से 90 दिन की अवधि तक होगी।

3– दिनांक 01 अप्रैल 2001 से दिनांक 31.10.2005 तक का देय अवशेष सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा और उक्त खाता न होने की स्थिति में इसका भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जायेगा । जो अधिकारी/कर्मचारी इस अवधि में सेवानिवृत हो गये है उन्हे उक्त अवधि के अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा।

4–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 186A/ix/2006 दिनांक 02 मार्च 2006 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

राजीव चन्द जोशी
अपर सचिव

संख्या– /ix//2006 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय अधिकारी, उत्तरांचल।
5. वित्त अनुभाग–2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 709/IX/246/2007
देहरादून दिनांक 12 सितम्बर, 2007

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 55 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में श्री जतिन्दर पाल सिंह चढ्ढ़ा पुत्र श्री हरचरण सिंह चढ्ढ़ा, सन्त निवास, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या /IX/ /2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–709/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आइ0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 33/IX/246/2008
देहरादून दिनांक 29 फरवरी, 2008

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या– 353/IX/246/2006 दिनांक 28–04–2006 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 55 के उपनियम (7) के अधीन श्री विनोद शर्मा, अपर सचिव, परिवहन एवं अपर परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0 रामास्वामी
सचिव

संख्या– 33/IX/246/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. श्री विनोद शर्मा, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 782/IX/228/2007
देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर 2007

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी में श्री जसपाल सिंह नेगी पुत्र श्री गौर सिंह नेगी, निकट विकास भवन, पौड़ी तथा श्री उमेश त्रिपाठी पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, स्टेशन रोड़, कोटद्वार को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –782/IX/228/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–782/IX/228/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–01
संख्या–770/ix/246/2007
देहरादून दिनांक 8 नवम्बर 2007

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम 8 के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राजयपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा मे श्री श्याम नारायण पाण्डे, पुत्र श्री यतीन्दर प्रसाद पाण्डे, निवासी– ग्राम नया संगरौली, पो0ओ0 जयंती, जिला अल्मोड़ा को को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –770/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–770/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 708/IX/246/2007
देहरादून दिनांक 12 सितम्बर 2007

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राजयपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री आनन्द प्रकाश नौटियाल, कौलागढ़, टपकेश्वर रोड़, देहरादून को तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में श्री राजेन्द्र सिंह बोरा, ग्राम चीनपुर, पो0 –हरिपुर नायक, हल्दू, हल्द्वानी, नैनीताल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –708/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या –708/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग
संख्या–72/XXI/2008
देहरादून दिनांक 23 जनवरी 2008

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है है कि सरदार सन्त सिंह को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। सरदार सन्त सिंह को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होगीः–

1– प्रतिमाह मानदेयः – रू0 8000/– (नियत)

2. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ड्राइवर सहित एक स्टाफ कार। (पेट्रोल 150 लीटर प्रतिमाह से अनधिक)

3– कार्यालय एवं आवास पर एक–एक टेलीफोन।

4– वैयक्तिक सहायक–1 (विभागीय रूप से अनुउपलब्ध होने पर रू0 6000/– प्रतिमाह नियत वेतन पर Co-terminus basis पर)।

5– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 (विभाग द्वारा)

6– पदीय दायित्वों के लिये राज्य के अन्दर रेल यात्राा करने पर उपलब्ध उच्चतम् श्रेणी में एक बर्थ।

7– पदीय दायित्वों के लिए राज्य के अन्दर सड़क मार्ग से भ्रमण करने पर वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति।

8– पदीय दायित्वों के लिए राज्य के अन्दर सड़क मार्ग से भ्रमण करने पर वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति।

9– पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु की गयी यात्राओं पर दैनिक भत्ता–शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप।

10– एक निःशुल्क गनर की सुविधा।

11– राज्य सरकार के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा, परिचर्या और उपचार।

12– आवासीय भत्ता रू0 5000/– प्रतिमाह।

13– पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी राज्य के अन्दर यात्राओं में शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप सर्किट हाऊस एवं अन्य निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।

2– पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश से बाहर की यात्राओं का अनुमोदन विभागीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3– स्टाफ सम्बन्धित परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानदेय, वाहन, कार्यालय व्यय, स्टाफ, यात्राओं आदि पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग/परिषद द्वारा वहन किया जायेगा, जिससे उन्हें नियुक्त किया गया है।

भास्करानन्द
अपर सचिव

संख्या –72/XXI/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, समसत मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, परिवहन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में अग्रेत्तर समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित सचिव।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्स कोषाधिकारी, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

ओमकार सिंह
अनुसचिव

संख्या 213/IX/543/2008

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त 2008

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे मे मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग क्रमशः 419/XXVII (3)/2005 दिनांक 13–09–2005 व संख्या 76/XXVII (7)/2006 दिनांक 03–06–2006 तथा संख्या 110/419/XX VII (7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून 2001 एवं शासनादेश संख्या 113परि0/545 (परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी 2004 द्वारा परिवहन विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग में सृजित कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, मुख्य सहायक (पूर्व में वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर), प्रवर सहायक (पूर्व में वरिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा एन्ट्री आपरेटर) तथा कनिष्ठ सहायक (पूर्व में कनिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा एन्ट्री आपरेटर) के कुल सृजित 311 पदों का श्री राजयपाल महोदय निम्नवत् पुनगर्ठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

d0 l0	inuke	osrueku ¼:0 e½	ifjogu vk;Dr dk;kZy; gsrq iquxZfBr inksa dh la[;k	lEHkkxh; mi lEHkkxh; ifjogu gsrq iquxZfBr inksa dh la[;k	pSdiksLV~l gsrq	dqy Lohd`r inksa dh la[;k
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	–	–	01
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5000–9000	04	04	–	08
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	07	15	–	22
4	मुख्य सहायक	4500–7000	09	69	–	78
5	प्रवर सहायक	4000–6000	09	84	–	93
6	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	14	38	57	109
	योग		44	210	57	311

2– लिपिकीय सवंर्ग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत सेवा नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व निर्गत आदेशों में उक्त मदों के नाम व संख्या भी उक्तवत संशोधित समझी जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1113/XXX VIII (7)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

एस0 रामास्वामी
सचिव

संख्या 213/IX/543/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–3/7
5. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड,सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

गरिमा रौकली
उपसचिव

संख्या 358/IX/543/2008

प्रेषक,

विनोद शर्मा
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर 2008

विषयः– **परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे मे आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पुनर्गठन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 110/XX VII(7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून 2001 एवं शासनादेश संख्या 113परि0/545 (परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढ़ाचे में आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का निम्नवत पुनर्गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–110/XXVII (7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तर पर पदों का अनुपातिक प्रतिशत 50: 30: 15: 5 रखते हुये निम्नवत पुनर्गठन किया जाता हैः–

d0 l0	inuke	osrueku :0 esa	ifjogu vk;qDr dk;kZy; gsrq iquxZfBr inksa dh la[;k	lEHkkxh; mi lEHkkxh; ifjogu gsrq iquxZfBr inksa dh la[;k	dqy Lohd`r inksa dh la[;k
1	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	6500–10500	01	–	01
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	5500–9000	02	–	02
3	आशुलिपिक ग्रेड–1	5000–8000	03	–	03
4	आशुलिपिक ग्रेड–2	4000–6000	02	04	06
	योग		08	04	12

4– लेखा संवर्ग में अब लेखालिपिक पदनाम समाप्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग मे लेखालिपिक के पूर्व स्वीकृत पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है। यदि इस पद पर कोई कार्मिक वत्र्मान में कार्र्यरत है, तो उन्हे सहा0 लेखाकार के पद पर समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा सवंर्ग 80:20 के अनुपात में करते हुये निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है–

d0 l0	inuke	orueku :0 e	ifjogu vk;Dr dk;ky; gr iuxfBr ink dh l[;k	lEHkkxh; mi lEHkkxh; ifjogu gr iuxfBr ink dh l[;k	dy Lohdr ink dh l[;k
1	लेखाकार	5500–9000	03	15	18
2	सहायक लेखाकार	4500–7000	–	04	04
3	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5500–9000	02	–	02
4	लेखा परीक्षक	4500–7000	01	–	01
	योग		06	19	25

5– आशुलिपिक संवर्ग तथा लेखा संवर्ग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त पदों की अर्हता आदि भी वित्त विभाग के द्वारा इस हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायेगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या संख्या 1625/XXVII (7)/2008 दिनांक 12–11–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

विनोद शर्मा
अपर सचिव

<u>संख्या 358/IX/543/2008 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूॅ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–7
5. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

शासनादेश संख्या –395/XXX VII (7)/2008 का सलग्नक–1

or'eku o'rueku			fnukd 01-01-2006 ls lkaf/kr o'ru lajpuk@<kpk	
dzekd	or'eku o'rueku fnukd 01-01-2006 ds iwo'	o'ru cSM@o'rueku dk uke	lkn'; o'ru cSM@o'rueku	lkn'; cSM o'ru cSM
1	2550—55—2660—60—3200	—1एस	4440—7440	1300
2	2610—60—3150—65—3540	—1एस	4440—7440	1400
3	2650—65—3300—70—4000	—1एस	4440—7440	1650
4	2750—70—3800—75—4400	वेतन बैंड–1	5200—20200	1800
5	3050—75—3950—80—4590	वेतन बैंड–1	5200—20200	1900
6	3200—85—4900	वेतन बैंड–1	5200—20200	2000
7	4000—100—6000	वेतन बैंड–1	5200—20200	2400
8	4500—125—7000	वेतन बैंड–1	5200—20200	2800
9	4500—125—7250	वेतन बैंड–1	5200—20200	2800
10	5000—150—8000	वेतन बैंड–2	9300—34800	4200
11	5500—175—9000	वेतन बैंड–2	9300—34800	4200
12	6500—200—10500	वेतन बैंड–2	9300—34800	4200
13	7450—225—11500	वेतन बैंड–2	9300—34800	4600
14	7500—250—12000	वेतन बैंड–2	9300—34800	4800
15	8000—275—13500	वेतन बैंड–3	15600—39100	5400
16	8550—275—14600	वेतन बैंड–3	15600—39100	6600
17	10000—325—15200	वेतन बैंड–3	15600—39100	6600
18	10650—325—15850	वेतन बैंड–3	15600—39100	6600
19	12000—375—16500	वेतन बैंड–3	15600—39100	7600
20	14300—450—18300	वेतन बैंड–4	37400—67000	8700
21	16400—450—20000	वेतन बैंड–4	37400—67000	8900
22	18400—500—22400	वेतन बैंड–4	37400—67000	10000
23	22400—525—24500	वेतन बैंड–4	37400—67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
8 रामबाग, कांवली, देहरादून।

संख्या–3313/सा0प्र0/दो–3/2008 दिनांक 29 दिसम्बर, 2008

कार्यालयादेश

वर्तमान में कई विभागीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु उपकरणों की आपूर्ति, स्टेशनरी/फार्मों का मुद्रण, वाहनों की समयबद्ध मरम्मत आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिये नजारत अनुभाग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत और कार्य के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय में सृजित विभिन्न अनुभागों का निम्न प्रकार पुनर्गठन करते हुये उनके मध्य कार्यों का आवंटन किया जाता है–

क्रं0 सं0	अनुभाग का नाम	मुख्य कार्य
1	अधिष्ठान	1– विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी रिट याचिका, अवकाश सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।
2	सामान्य/प्रशासन/सतर्कता	1– कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 2– चारधाम यात्रा सम्बन्धी कार्य। 3– लोक सभा/विधान सभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 4– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 5– अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 6– शासन एवं विभागीय स्तर की शिकायतों का निस्तारण। 7– डाक निष्कासन सम्बन्धी कार्य।
3	नजारत अनुभाग	1– भवनों की मरम्मत, पानी–बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य। 2– विभिन्न प्रकार की फार्मों/स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण, वितरण तथा स्टाक सम्बन्धी कार्य। 3– अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का क्रय। 4– विभागीय वाहनों का क्रय एवं रख रखाव। 5– प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का क्रय एवं रख रखाव। 6– समस्त बैठकों की व्यवस्था करना। 7– कार्यालय के चौकीदार, अनुसेवक, सफाई कर्मी तथा पानी बिजली से सम्बन्धित कर्मियों की डयूटी पर नियंत्रण। 8– विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर/मशीनों के क्रय एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य।
4	एस0टी0ए0 अनुभाग	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य।

		7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी काय। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/मालभाडे की दरों का निर्धारण। 10– विधान सभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
5	लेखा/आडिट/सेन्टरपूल/नियोजन	1– आडिट सम्बन्धी समस्त कार्य 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 4– सेन्टर पूल में प्राप्त ड्राफ्टों का कोषागार में भुगतान एवं रख रखाव 5– सेन्टर पूल की क्लीयरेन्स हाउस बैठकों में प्रतिभाग करना। 6– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 7– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 8– नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 9– विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 10– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 11– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का वितरण सम्बन्धी कार्य।
6	टीआर (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटरयान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी अपीलें। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य।
7	प्राविधिक अनुभाग	1– नई लॉच होने वाले वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें।
8	प्रवर्तन अनुभाग	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 3– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य 4– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 5– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण।

		6– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का संकलन। 7– राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं का ब्यौरा। 8– समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन।
9	विधि एवं न्यायाधिकरण	मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य।
10	एमआईएस	1– विभिन्न प्रकार के विवरण पत्रों का संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2– मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3– परिवहन विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
11	आर0टी0आई0	सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
12	सांख्यिकी सेल	राज्य के परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टेटमेन्ट बनाने हेतु सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय के नेतृत्व में एक सांख्यिकी सेल का गठन किया जाता है। जिसमें प्रवर्तन/प्राविधिक/एमआईएस/अधिष्ठान /एसटीए/टीआर/लेखा अनुभाग के प्रभारी सदस्य होंगे। उक्त सेल द्वारा विभागीय कार्यकलापों के प्रचार प्रसार सम्बन्धी पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों के द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य अतिरिक्त कार्यों का सम्पादन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्त अनुभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्नवत तैनाती करते हुये निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल नये आवंटित अनुभाग/पटल पर कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

क्रं0सं0	**अनुभाग का नाम**		**प्रस्तावित अधिकारी/कर्मचारी**	**पदनाम**	**पटल**
1	अधिष्ठान/सा0प्र0/सतर्कता	1	जयलाल सिंह नेगी	परिवहन कर अधिकारी–2	अनुभाग प्रभारी
		2	नवीन मैठाणी	प्रवर सहायक	अधिष्ठान
		3	हर्षमणी सेमवाल	क0सहायक	अधिष्ठान
		4	श्रीमती नीता भण्डारी	क0सहायक	सा0प्रशा0
		5	कमल कान्त सेमवाल	क0सहायक	सा0प्रशा0
		6	हीरा सिंह गुसांई	क0सहायक	डाक निष्कासन
2	नजारत	1	डी0पी0सकलानी	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	के0के0 बिजल्वाण	क0सहायक	–
		3	संजय पुण्डीर	क0सहायक	–
3	एस0टी0ए0/विधि एवं न्यायाधिकरण	1	रमेश सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	धर्मपाल	प्रवर सहायक	एस0टी0ए0
		3	सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्रवर सहायक	एस0टी0ए0
		4	शांति प्रसाद मैठाणी	क0सहायक	एस0टी0ए0
		5	हर्षमणी सेमवाल	क0सहायक	विधि

4	टी0टार0	1	विपिन चन्द रमोला	क0सहायक	टीआर
		2	नन्द किशोर लोहिया	क0सहायक	टीआर
5	प्राविधिक/प्रवर्तन/एमआईएस	1	हीरा सिंह बर्गली	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	प्रमोद नौडियाल	प्रवर सहायक	प्रवर्तन
		3	गिरीश चन्द	क0सहायक	प्राविधिक/एमआईएस
		4	यशवीर सिंह बिष्ट	क0सहायक	प्राविधिक
6	लेखा/सेन्टर पूल/आडिट/नियोजन	1	अमर सिंह	व0लेखाधिकारी	–
		2	विजय सिंह रावत	स0लेखाधिकारी	–
		3	शूरवीर सिंह भण्डारी	लेखाकार	–
		4	मोहनलाल	प्रवर सहायक	सेन्टर पूल
		5	सुरेश कोटनाला	क0सहायक	लेखा
		6	नरेन्द्र सिंह नेगी	क0सहायक	आडिट/नियोजन
7	आर0टी0आई0	1	सोन सिंह सजवाण	ओएसडी	–
		2	मुकेश नेगी	क0सहायक	आरटीआई
8	टी0सी0 कैम्प	1	नरेश संगल	वैयक्तिक सहायक	
		2	उमेश चन्द्र	क0सहायक	टीसी कैम्प/कम्प्यूटर
9	एटीसी कैम्प	1	मनीष चन्द्रा	क0सहायक	कम्प्यूटर एवं विधि अनुभाग में भी सहायक होंगे।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
2– मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– समस्त कार्मिकों को अनुपालानार्थ।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–484/ix/246/4/2009
देहरादून दिनांक 03 नवम्बर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री विजेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री यूएस भण्डारी, 05 गांधी चौक, मसूरी, देहरादून को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या– 484/ix/246/4/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित िकइस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियां परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–500/ix/246/2009
देहरादून दिनांक 11 नवम्बर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में श्री हरविन्दर सिंह चडढा पुत्र श्री संथोक सिंह चडढा 5/93, भोटिया पडाव, नैनीताल रोड, हल्द्वानी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या– 500/ix/246/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियां परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या–443/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक 09 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय– **विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रू0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रू0 5500–9000) जिनकी दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 में समान ग्रेड पे रू0 4200 हो गयी है, का आमेलन करते हुये आमेलित पद का पदनाम 'प्रशासनिक अधिकारी' तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 यथावत रहेगी।

2– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 6500–10500) को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रू0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रू0 6500–10500 को दिनांक 01.01.2006 से रू0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुये पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 के स्थान पर रू0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव

संख्या– 443(1)/xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– निदेशक एनआईसी सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 183/xxx(2)/2010
देहरादून दिनांक 11 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्रं0सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1	कनिष्ठ सहायक	35 %	32%
2	प्रवर सहायक	30%	30%
3	मुख्य सहायक	25%	18%
4	प्रशासनिक अधिकारी	10%	20%

2– जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हो, वहॉ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा तथा पूर्व से सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाप्त नही किया जायेगा। इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी 2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।

3– कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदो के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुये विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

शत्रुध्न सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या– 183(1)/xxx(2)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
अपर सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 38 / अधि0 / 6–2 / 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010

कार्यालयादेश

तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन निम्न प्रकार से करते हुये निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी / कर्मचारी नये आवंटित अनुभागों में कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करें–

d0 l0	vuHkkx dk uke	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke loZJh	inuke
1	सा0प्र0 / अधिष्ठान / टीआर / नियोजन / कम्प्यूटर	डी0पी0 सकलानी	प्रशासनिक अधिकारी
		नरेश संगल	प्रशासनिक अधिकारी
		नवीन मैठाणी	मुख्य सहायक
		प्रमोद नौडियाल	मुख्य सहायक
		विपिन रमोला	प्रवर सहायक
		यशवीर सिंह बिष्ट	प्रवर सहायक
		विनोद पाठक	क0सहायक
		श्रीमती बीना	क0सहायक
		श्रीमती नीरा लोहनी	क0सहायक
2	एस0टी0ए0	रमेश सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी
		नन्द किशोर लोहिया	क0सहायक
		शान्ति प्रसाद मैठाणी	क0सहायक
		मनीष चन्द्रा	क0सहायक
3	प्राविधिक / प्रवर्तन / एमआइएस	हीरा सिंह बर्गली	प्रशासनिक अधिकारी
		गिरीश चन्द्र	प्रवर सहायक
		धर्मपाल	मुख्य सहायक
		उमेश चन्द	प्रवर सहायक
4	विधि एवं न्यायाधिकरण आरटीआई	हर्षमणी सेमवाल	सहायक अभियोक्ता
		मुकेश नेगी	क0सहायक
5	लेखा, सेन्ट्रल पूल एवं ऑडिट	विजय सिंह रावत	सहायक लेखाधिकारी
		महेन्द्र कुमार	लेखाकार
		मोहन लाल	मुख्य सहायक
		सुधीर राणा	क0सहायक
		कमलकान्त सेमवाल	क0सहायक
		श्रीमती नीता भण्डारी	क0सहायक

2– सा0प्र0 / अधि0 / टीआर / नियोजन / कम्प्यूटर अनुभागों में 02 प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किये गये है। उक्त दोनो में वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग प्रभारी होंगे।

3– समस्त अनुभाग प्रभारी अपने अनुभागों में तैनात किये गये कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन/आवंटन का प्रस्ताव 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त एक ही प्रकार के कार्य भिन्न–भिन्न अनुभागों में सम्पादित न हो और कार्यों में अपेक्षित गति प्रदान करने के उददेश्य से विभिन्न अनुभागों के मध्य कार्यों का आवंटन निम्नवत किया जाता है। समस्त अनुभागों द्वारा उन्हे आवंटित कार्य के अनुरूपक कार्य का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

Øe l0	vuHkkx dk uke	vkofVr e[; dk;]
1	अधिष्ठान/ सामान्य प्रशासन	1– प्रवर्तन कर्मी को छोडकर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– प्रवर्तन कर्मियों के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य। 4–उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 5– शासन एवं विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। 6– कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 7– चार धाम यात्रा सम्बन्धी कार्य। 8– लोक सभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 9– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 10– डाक निष्काषन सम्बन्धी कार्यं 11– फर्नीचर/स्टेशनरी आदि का क्रय एवं अनुरक्षण। 12– भवनों की मरम्मत, पानी/बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य।
2	एस0टी0ए0 अनुभाग	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य। 7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/माल भाडे की दरों का निर्धारण। 10– परमिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 11– विधानसभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
3	लेखा/ऑडिट/सेन्ट्रल पूल	1– ऑडिट सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 4– सेन्ट्रल पूल में प्राप्त ड्राफ्टों का कोषागार में भुगतान एवं रख रखाव। 5– सेन्ट्रल पूल की क्लीयरेन्स हाउस बैठकों में प्रतिभाग करना।

		6– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 7– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 8– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 9– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण सम्बन्धी कार्य। 10– लेखा/बजट/आडिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
4	टी0आर0 (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटर यान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी कार्य। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य। 7– अनुभाग सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
5	प्राविधिक अनुभाग	1– नई लॉच होने वाली वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें। 6– लाईसेन्स/फिटनेस/गैराज/प्रशिक्षण संस्थान आदि कार्य सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
6	प्रवर्तन अनुभाग	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– प्रवर्तन कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवर्तन कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– प्रवर्तन कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 4– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 5– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य। 6– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 7– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण। 8– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का संकलन। 9– राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं

		का ब्यौरा। 10– समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन। 11– प्रवर्तन सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 12– अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का कय। 13– विभागीय वाहनों का कय एवं रख रखाव। 14– प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का कय एवं रख रखाव।
7	विधि एवं न्यायाधिकरण	मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य। 2– मा0 न्यायालय सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
8	एमआईएस	1– विभिन्न अनुभागों से संकलित विवरण प्राप्त कर उन्हें एकरूप में संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2– मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3– परिवहन विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
9	आरटीआई	सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2– सूचना के अधिकारी सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
10	कम्प्यूटर	विभाग में कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य एवं एनआईसी के साथ समन्वय। 2– कम्प्यूटर कय एवं रख रखाव।
11	नियोजन	1– नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 2– विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 3– योजना सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

l[;k& 38@vf/k0@6&2@2010] lefnukfdrA

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– समस्त कर्मचारी।
4– निर्देष पत्रावली।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

dk;ky; ifjogu vk;Dr] mRrjk[k.M
dYgku] lgL=/kkjk jkM] ngjknuA

संख्या— 38(1)/सा0प्र0/6—2/2010 दिनांक 26 अप्रैल, 2010

dk;ky;kns'k

कार्यालयादेश संख्या—38/अधिष्ठान/6—2/2010 दिनांक 26—03—2010 के क्रम में अधिष्ठान/सा0प्र0/सतर्कता/टीआर/नियोजन/कम्प्यूटर एवं टीसी कैम्प में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तद्नुसार पत्रावलियों का प्रेषण/प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेंगें।

Jh Mh0ih0 Idykuh] i'kklfud vf/kdkjh xM&1

अधिष्ठान, सामान्य प्रशासन एवं नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य।

Jh uj'k lxy] i'kklfud vf/kdkjh&2

टीआर, नियोजन, कम्प्यूटर, सतर्कता एवं टीसी कैम्प से सम्बन्धित कार्य।

उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अधीनस्थ कार्मिक निम्नवत् विषयों से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करेंगें।

Jh uohu eBk.kh] e[; lgk;d@Jh foukn ikBd] d0lgk;d

1— क्षेत्रीय कार्यालयों के समूह—ख एवं ग से संबंधित अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।
2— मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ
3— शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण संदर्भ।
4— अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण।
5— हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट संबंधी कार्य।
6— नियोजन सम्बन्धी कार्य।
7— समय—समय पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

Jh iekn ukfM;ky] e[; lgk;d ¼fyid&Jh fofiu jekyk½

1— मुख्यालय के कर्मचारियों का अधिष्ठान/अवकाश सम्बन्धी कार्य।
2— विभिन्न मेलों/यात्रा सम्बन्धी कार्य
3— फर्नीचर क्रय एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।
4— दुर्घटनाओं सम्बन्धी कार्य।
5— कार्यालय भवनों के किराये के प्रकरण।
6— समय—समय पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

Jh fofiu jekyk] ioj lgk;d ¼fyid&Jh iekn ukfM;ky½

1— कार्यालय का सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य।
2— कर परिहार के मामले।
3— नियावली, सशोधन सम्बन्धी कार्य।

4— समूह—क के अधिकारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।
5— समय—समय पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

Jh ;'kohj fc"V] iz.oj lgk;d ¼fyid&Jh foukn ikBd½

1— स्टेशनरी क्रय सम्बन्धी कार्य।
2— स्टेशनरी संबंधी स्टॉक का रख—रखाव एवं अधीनस्थ कार्यालयों को मांग के अनुसार सामग्री का आवंटन।
3— समूह—घ के कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।
4— कार्यालय भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य।
5— अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य।
6— समय—समय पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

Jherh chuk] d0lgk;d@Jherh uhjk ykguh] d0lgk;d

1— टीसी कैम्प
2— कम्प्यूटर अनुभाग से सम्बन्धित कार्य।
3— कम्प्यूटर क्रय एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।
4— अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख—रखाव।
5— समय—समय पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
2— सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी।
3— सम्बन्धित कार्मिक।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठटन।

परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे का शासनादेश संख्या–113/परि0/545/(परि0)/2009 दिनांक 26–02–2004 एवं मिनिस्टीरियल संवर्ग का शासनादेश संख्या –213/IX/545/2008 दिनांक 05–08–2008 द्वारा पुर्नगठन आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का स्टाफिंग पैर्टन के आधार पर पुनर्गठन का शासनादेश संख्या–358/IX/545/2008 दिनांक 01.12.08

क्र0 सं0	पदनाम	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु कुल स्वीकृत पद	सम्भागीय/उप सम्भागीय कार्यालय हेतु स्वीकृत पद	चैकपोस्टों हेतु स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पदों का योग	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	परिवहन आयुक्त (आई.ए.एस.सवंर्ग)	01	–	–	01	01	–
2	अपर परिवहन आयुक्त (37400–67000)	01	–	–	01	01	–
3	उप परिवहन आयुक्त 15600–39100	03	–	–	03	–	03
4	सहायक परिवहन आयुक्त (प्रषासन)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी 15600–39100	01	04	–	05	03	02
5	वित्त नियंत्रक/वरि0 लेखाधिकारी (वित्त सेवा)	01	–	–	01	01	–
6	सहायक संभागीय परिवहन 15600–39100	02	21	–	23	13	09
7	सहायक लेखाधिकारी–2 (9300–34800)	01	–	–	01	01	–
8	परिवहन कर अधिकारी–1 (9300–34800)	–	15	4	19	13	06
9	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) (9300–34800)	–	04	–	04	03	01
10	वरिष्ठ प्रषासनिक अधिकारी (9300–34800)	01	–	–	01	–	01
11	वैयक्तिक सहायक–1 (9300–34800)	01	–	–	01	–	01
12	प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800)	04	04	–	08	–	08
13	वैयक्तिक सहायक–2 (9300–34800)	02	–	–	02	01	01
14	सहायक अभियोक्ता (9300–34800)	01	–	–	01	–	01
15	लेखाकार (9300–34800)	03	15	–	18	02	16
16	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (9300–34800)	02	–	–	02	–	02
17	प्रशासनिक अधिकारी–2(9300–34800)	07	15	–	22	16	06
18	संख्या सहायक (9300–34800)	01	–	–	01	–	01
19	सहा0सम्भा0निरीक्षक (प्रावि0) (9300–34800)	–	15	–	15	–	15
20	परिवहन कर अधिकारी–2 (9300–34800)	–	21	57	78	29	50
21	आशुलपिक –1–(9300–34800)	03	–	–	03	–	03
22	सहायक लेखाकार –(5200–20200)	–	04	–	04	01	03
23	मुख्य सहायक –(5200–20200)	09	69	–	78	48	57
24	लेखा परीक्षक –(5200–20200)	01	–	–	01	–	01
25	आशुलपिक –2 –(5200–20200)	02	04	–	06	–	06
26	संकलनकर्ता –(5200–20200)	01	–	–	01	–	01
27	प्रवर सहाययक–(5200–20200)	09	84	–	93	54	48
28	कनिष्ठ सहायक–(5200–20200)	14	38	57	109	91	सरप्लस 21
29	चालक.प्रर्वतन चालक–(5200–20200)	09	19	–	28	28	–
30	प्रर्वतन प्रर्यवेक्षक (5200–20200)	01	15	–	16	04	12
31	प्रर्वतन सिपाही (5200–20200)	09	70	114	193	146	47
32	दफ्तरी (4440–7440)	–	03	–	03	01	भविष्य के लिये मृत+2
33	अनुसेवक (4440–7440)	12	62	–	74	64	10
	योग	102	482	232	816	520	296+2 er